सोनभद्र पुलिस को अथक परिश्रम से मिली सफलता, पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी व उसके दो साथियों को किया गिरफ्तार-

प्रकरण- दिनांक 18.01.2025 को थाना कोन पर सूचना मिली की पड़रछ के जंगल में एक अज्ञात लड़की उम्र करीब 25 वर्ष का शव पड़ा है। उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोन द्वारा मौके पर पहुँचकर उच्चाधिकारीगण को अवगत कराते हुए शव के शिनाख्त हेत् फोटो लेकर आस पास के लोगो से जानकारी करने का प्रयास किया परन्त् कुछ लाभप्रद जानकारी प्राप्त नहीं हुई, मौके पर ही फॉरेंसिक टीम व सर्विलान्स टीम को बुलाया गया जिससे शव का शिनाख्त किया जा सके। शव का शिनाख्त न हो पाने की दशा में नियमानुसार मृतका के शव के पंयातनामा की कार्यवाही कराकर शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल लोढी मॉर्चरी हाऊस में रखवाया गया था। अज्ञात महिला के शव के शिनाख्त कराने हेतु कस्बा कोन से तेलगुड़वा तक सीसीटीवी फुटेज लिया गया तथा लोगों से महिला का फोटो दिखाकर पहचान करने का सार्थक प्रयास किया गया। शव के शिनाख्त हेतू इलेक्ट्रानिक संचार के माध्यम वाट्सअप , फेसबुक , इंस्टाग्राम आदि में प्रचार-प्रसार कराया गया तथा महिला के शव के पास से बरामद चप्पल ब्लू टैगा कम्पनी की पहचान हेतु ओबरा, डाला, कोन, खरौंधी, गढ़वा आदि क्षेत्रों में चप्पल की दुकानो पर जानकारी करने हेत् प्रयास किया गया। तत्पश्चात उच्चाधिकारीगण के आदेश के अनुक्रम में टीमें बनाकर सोनभद्र, मीरजापुर, वाराणसी, गढ़वा क्षेत्रों में शिनाख्त हेतु भेजा गया था। इसी बीच एक व्यक्ति द्वारा यह बताया गया कि जो अज्ञात शव आपके यहां मिला है वह बजरमरवा गांव का है। इस सूचना पर थाना कोन पुलिस ने ग्राम बजरमरवा थाना खरौंधी(झारखण्ड) में पहुंचकर पूछताछ किया गया तो वहां पर निहोरा राम नाम के व्यक्ति ने अज्ञात शव की पहचान अपनी लड़की के रूप में की, शव को गम्भीरता पूर्वक तस्दीक करने हेतु परिजनों को जिला अस्पताल लोढ़ी रॉबर्ट्सगंज भेजा गया। जहाँ पर निहोरा राम द्वारा तस्दीक किया गया कि यह शव उसकी बेटी अनूपा कुमारी का ही है। दिनांक 21.01.2025 को निहोरा राम द्वारा थाना कोन पर अपनी लड़की अनूपा कुमारी की दहेज उत्पीड़न के संबंध में तहरीर दी गयी जिसके आधार पर थाना कोन पर मु0अ0सं0- 13/25 धारा 85/80(2)/238 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम राजू रंजन राम आदि पंजीकृत किया गया। पंजीकृत अभियोग के अनावरण के सम्बन्ध में मृतका अनूपा व उसके पति राजू व अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाइल नम्बरों की सीडीआर प्राप्त कर अवलोकन व साक्ष्य संकलन किया गया तो ज्ञात हुआ कि मृतका का पित राजू रंजन राम उसके दोस्त दीपक कुमार शर्मा व पीयूष शर्मा ने मिलकर अनूपा कुमारी की हत्या की है।

- 01. राजू रंजन राम पुत्र रामआधार राम उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी ग्राम हुसरू करिवाडीह थाना खरौंधी जनपद गढवा झारखण्ड।
- 02. दीपक कुमार पुत्र सुदामा शर्मा उम्र लगभग 21 वर्ष निवासी ग्राम बहुअरा थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 03. पीयूष शर्मा पुत्र जसवन्त शर्मा उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी ग्राम बहुअरा थाना कोन जनपद सोनभद्रष

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो राजू रंजन ने बताया कि उसने अपनी पत्नी अनूपा कुमारी व अपने मित्रों दीपक कुमार व पीयूष शर्मा को फोन करके कोन में बुलाया था जहां से राजू अपनी पत्नी अनूपा के साथ लिफ्ट लेकर तथा दीपक व पीयूष एक मोटर साइकिल पर बैठकर कोन से रोगही पड़रछ जंगल में जाकर तीनों ने अनूपा कुमारी का गला दबाकर व पत्थर से सिर लड़ाकर हत्या कर दी थी।

बरामदगी का विवरण-

आला कत्ल पत्थर, मृतका का मोबाइल, व एक मोटरसाईकिल बरामद।

- 01. प्र0नि0 गोपाल जी गुप्ता थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 02. उ0नि0 वंशनारायण राय चौकी प्रभारी बागेसोती थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 03. उ0नि0 मनोज कुमार सिंह चौकी प्रभारी चकरिया थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 04. हे0का0 मुकेश कुमार यादव थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 05. हे0का0 महफूज अली चौकी चकरिया थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 06. का0 अंकित वर्मा थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 07. का0 निरंजन कुमार थाना कोन जनपद सोनभद्र।

सोनभद्र पुलिस को अथक परिश्रम से मिली सफलता, पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी व उसके दो साथियों को किया गिरफ्तार-

प्रकरण- दिनांक 18.01.2025 को थाना कोन पर सूचना मिली की पड़रछ के जंगल में एक अज्ञात लड़की उम्र करीब 25 वर्ष का शव पड़ा है। उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोन द्वारा मौके पर पहुँचकर उच्चाधिकारीगण को अवगत कराते हुए शव के शिनाख्त हेत् फोटो लेकर आस पास के लोगो से जानकारी करने का प्रयास किया परन्त् कुछ लाभप्रद जानकारी प्राप्त नहीं हुई, मौके पर ही फॉरेंसिक टीम व सर्विलान्स टीम को बुलाया गया जिससे शव का शिनाख्त किया जा सके। शव का शिनाख्त न हो पाने की दशा में नियमानुसार मृतका के शव के पंयातनामा की कार्यवाही कराकर शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल लोढी मॉर्चरी हाऊस में रखवाया गया था। अज्ञात महिला के शव के शिनाख्त कराने हेतु कस्बा कोन से तेलगुड़वा तक सीसीटीवी फुटेज लिया गया तथा लोगों से महिला का फोटो दिखाकर पहचान करने का सार्थक प्रयास किया गया। शव के शिनाख्त हेतू इलेक्ट्रानिक संचार के माध्यम वाट्सअप , फेसबुक , इंस्टाग्राम आदि में प्रचार-प्रसार कराया गया तथा महिला के शव के पास से बरामद चप्पल ब्लू टैगा कम्पनी की पहचान हेतु ओबरा, डाला, कोन, खरौंधी, गढ़वा आदि क्षेत्रों में चप्पल की दुकानो पर जानकारी करने हेत् प्रयास किया गया। तत्पश्चात उच्चाधिकारीगण के आदेश के अनुक्रम में टीमें बनाकर सोनभद्र, मीरजापुर, वाराणसी, गढ़वा क्षेत्रों में शिनाख्त हेतु भेजा गया था। इसी बीच एक व्यक्ति द्वारा यह बताया गया कि जो अज्ञात शव आपके यहां मिला है वह बजरमरवा गांव का है। इस सूचना पर थाना कोन पुलिस ने ग्राम बजरमरवा थाना खरौंधी(झारखण्ड) में पहुंचकर पूछताछ किया गया तो वहां पर निहोरा राम नाम के व्यक्ति ने अज्ञात शव की पहचान अपनी लड़की के रूप में की, शव को गम्भीरता पूर्वक तस्दीक करने हेतु परिजनों को जिला अस्पताल लोढ़ी रॉबर्ट्सगंज भेजा गया। जहाँ पर निहोरा राम द्वारा तस्दीक किया गया कि यह शव उसकी बेटी अनूपा कुमारी का ही है। दिनांक 21.01.2025 को निहोरा राम द्वारा थाना कोन पर अपनी लड़की अनूपा कुमारी की दहेज उत्पीड़न के संबंध में तहरीर दी गयी जिसके आधार पर थाना कोन पर मु0अ0सं0- 13/25 धारा 85/80(2)/238 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम राजू रंजन राम आदि पंजीकृत किया गया। पंजीकृत अभियोग के अनावरण के सम्बन्ध में मृतका अनूपा व उसके पति राजू व अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाइल नम्बरों की सीडीआर प्राप्त कर अवलोकन व साक्ष्य संकलन किया गया तो ज्ञात हुआ कि मृतका का पित राजू रंजन राम उसके दोस्त दीपक कुमार शर्मा व पीयूष शर्मा ने मिलकर अनूपा कुमारी की हत्या की है।

- 01. राजू रंजन राम पुत्र रामआधार राम उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी ग्राम हुसरू करिवाडीह थाना खरौंधी जनपद गढवा झारखण्ड।
- 02. दीपक कुमार पुत्र सुदामा शर्मा उम्र लगभग 21 वर्ष निवासी ग्राम बहुअरा थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 03. पीयूष शर्मा पुत्र जसवन्त शर्मा उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी ग्राम बहुअरा थाना कोन जनपद सोनभद्रष

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो राजू रंजन ने बताया कि उसने अपनी पत्नी अनूपा कुमारी व अपने मित्रों दीपक कुमार व पीयूष शर्मा को फोन करके कोन में बुलाया था जहां से राजू अपनी पत्नी अनूपा के साथ लिफ्ट लेकर तथा दीपक व पीयूष एक मोटर साइकिल पर बैठकर कोन से रोगही पड़रछ जंगल में जाकर तीनों ने अनूपा कुमारी का गला दबाकर व पत्थर से सिर लड़ाकर हत्या कर दी थी।

बरामदगी का विवरण-

आला कत्ल पत्थर, मृतका का मोबाइल, व एक मोटरसाईकिल बरामद।

- 01. प्र0नि0 गोपाल जी गुप्ता थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 02. उ0नि0 वंशनारायण राय चौकी प्रभारी बागेसोती थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 03. उ0नि0 मनोज कुमार सिंह चौकी प्रभारी चकरिया थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 04. हे0का0 मुकेश कुमार यादव थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 05. हे0का0 महफूज अली चौकी चकरिया थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 06. का0 अंकित वर्मा थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 07. का0 निरंजन कुमार थाना कोन जनपद सोनभद्र।

सोनभद्र पुलिस को अथक परिश्रम से मिली सफलता, पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी व उसके दो साथियों को किया गिरफ्तार-

प्रकरण- दिनांक 18.01.2025 को थाना कोन पर सूचना मिली की पड़रछ के जंगल में एक अज्ञात लड़की उम्र करीब 25 वर्ष का शव पड़ा है। उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोन द्वारा मौके पर पहुँचकर उच्चाधिकारीगण को अवगत कराते हुए शव के शिनाख्त हेत् फोटो लेकर आस पास के लोगो से जानकारी करने का प्रयास किया परन्त् कुछ लाभप्रद जानकारी प्राप्त नहीं हुई, मौके पर ही फॉरेंसिक टीम व सर्विलान्स टीम को बुलाया गया जिससे शव का शिनाख्त किया जा सके। शव का शिनाख्त न हो पाने की दशा में नियमानुसार मृतका के शव के पंयातनामा की कार्यवाही कराकर शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल लोढी मॉर्चरी हाऊस में रखवाया गया था। अज्ञात महिला के शव के शिनाख्त कराने हेतु कस्बा कोन से तेलगुड़वा तक सीसीटीवी फुटेज लिया गया तथा लोगों से महिला का फोटो दिखाकर पहचान करने का सार्थक प्रयास किया गया। शव के शिनाख्त हेतू इलेक्ट्रानिक संचार के माध्यम वाट्सअप , फेसबुक , इंस्टाग्राम आदि में प्रचार-प्रसार कराया गया तथा महिला के शव के पास से बरामद चप्पल ब्लू टैगा कम्पनी की पहचान हेतु ओबरा, डाला, कोन, खरौंधी, गढ़वा आदि क्षेत्रों में चप्पल की दुकानो पर जानकारी करने हेत् प्रयास किया गया। तत्पश्चात उच्चाधिकारीगण के आदेश के अनुक्रम में टीमें बनाकर सोनभद्र, मीरजापुर, वाराणसी, गढ़वा क्षेत्रों में शिनाख्त हेतु भेजा गया था। इसी बीच एक व्यक्ति द्वारा यह बताया गया कि जो अज्ञात शव आपके यहां मिला है वह बजरमरवा गांव का है। इस सूचना पर थाना कोन पुलिस ने ग्राम बजरमरवा थाना खरौंधी(झारखण्ड) में पहुंचकर पूछताछ किया गया तो वहां पर निहोरा राम नाम के व्यक्ति ने अज्ञात शव की पहचान अपनी लड़की के रूप में की, शव को गम्भीरता पूर्वक तस्दीक करने हेतु परिजनों को जिला अस्पताल लोढ़ी रॉबर्ट्सगंज भेजा गया। जहाँ पर निहोरा राम द्वारा तस्दीक किया गया कि यह शव उसकी बेटी अनूपा कुमारी का ही है। दिनांक 21.01.2025 को निहोरा राम द्वारा थाना कोन पर अपनी लड़की अनूपा कुमारी की दहेज उत्पीड़न के संबंध में तहरीर दी गयी जिसके आधार पर थाना कोन पर मु0अ0सं0- 13/25 धारा 85/80(2)/238 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम राजू रंजन राम आदि पंजीकृत किया गया। पंजीकृत अभियोग के अनावरण के सम्बन्ध में मृतका अनूपा व उसके पति राजू व अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाइल नम्बरों की सीडीआर प्राप्त कर अवलोकन व साक्ष्य संकलन किया गया तो ज्ञात हुआ कि मृतका का पित राजू रंजन राम उसके दोस्त दीपक कुमार शर्मा व पीयूष शर्मा ने मिलकर अनूपा कुमारी की हत्या की है।

- 01. राजू रंजन राम पुत्र रामआधार राम उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी ग्राम हुसरू करिवाडीह थाना खरौंधी जनपद गढवा झारखण्ड।
- 02. दीपक कुमार पुत्र सुदामा शर्मा उम्र लगभग 21 वर्ष निवासी ग्राम बहुअरा थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 03. पीयूष शर्मा पुत्र जसवन्त शर्मा उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी ग्राम बहुअरा थाना कोन जनपद सोनभद्रष

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो राजू रंजन ने बताया कि उसने अपनी पत्नी अनूपा कुमारी व अपने मित्रों दीपक कुमार व पीयूष शर्मा को फोन करके कोन में बुलाया था जहां से राजू अपनी पत्नी अनूपा के साथ लिफ्ट लेकर तथा दीपक व पीयूष एक मोटर साइकिल पर बैठकर कोन से रोगही पड़रछ जंगल में जाकर तीनों ने अनूपा कुमारी का गला दबाकर व पत्थर से सिर लड़ाकर हत्या कर दी थी।

बरामदगी का विवरण-

आला कत्ल पत्थर, मृतका का मोबाइल, व एक मोटरसाईकिल बरामद।

- 01. प्र0नि0 गोपाल जी गुप्ता थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 02. उ0नि0 वंशनारायण राय चौकी प्रभारी बागेसोती थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 03. उ0नि0 मनोज कुमार सिंह चौकी प्रभारी चकरिया थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 04. हे0का0 मुकेश कुमार यादव थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 05. हे0का0 महफूज अली चौकी चकरिया थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 06. का0 अंकित वर्मा थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 07. का0 निरंजन कुमार थाना कोन जनपद सोनभद्र।

सोनभद्र पुलिस को अथक परिश्रम से मिली सफलता, पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी व उसके दो साथियों को किया गिरफ्तार-

प्रकरण- दिनांक 18.01.2025 को थाना कोन पर सूचना मिली की पड़रछ के जंगल में एक अज्ञात लड़की उम्र करीब 25 वर्ष का शव पड़ा है। उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोन द्वारा मौके पर पहुँचकर उच्चाधिकारीगण को अवगत कराते हुए शव के शिनाख्त हेत् फोटो लेकर आस पास के लोगो से जानकारी करने का प्रयास किया परन्त् कुछ लाभप्रद जानकारी प्राप्त नहीं हुई, मौके पर ही फॉरेंसिक टीम व सर्विलान्स टीम को बुलाया गया जिससे शव का शिनाख्त किया जा सके। शव का शिनाख्त न हो पाने की दशा में नियमानुसार मृतका के शव के पंयातनामा की कार्यवाही कराकर शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल लोढी मॉर्चरी हाऊस में रखवाया गया था। अज्ञात महिला के शव के शिनाख्त कराने हेतु कस्बा कोन से तेलगुड़वा तक सीसीटीवी फुटेज लिया गया तथा लोगों से महिला का फोटो दिखाकर पहचान करने का सार्थक प्रयास किया गया। शव के शिनाख्त हेतू इलेक्ट्रानिक संचार के माध्यम वाट्सअप , फेसबुक , इंस्टाग्राम आदि में प्रचार-प्रसार कराया गया तथा महिला के शव के पास से बरामद चप्पल ब्लू टैगा कम्पनी की पहचान हेतु ओबरा, डाला, कोन, खरौंधी, गढ़वा आदि क्षेत्रों में चप्पल की दुकानो पर जानकारी करने हेत् प्रयास किया गया। तत्पश्चात उच्चाधिकारीगण के आदेश के अनुक्रम में टीमें बनाकर सोनभद्र, मीरजापुर, वाराणसी, गढ़वा क्षेत्रों में शिनाख्त हेतु भेजा गया था। इसी बीच एक व्यक्ति द्वारा यह बताया गया कि जो अज्ञात शव आपके यहां मिला है वह बजरमरवा गांव का है। इस सूचना पर थाना कोन पुलिस ने ग्राम बजरमरवा थाना खरौंधी(झारखण्ड) में पहुंचकर पूछताछ किया गया तो वहां पर निहोरा राम नाम के व्यक्ति ने अज्ञात शव की पहचान अपनी लड़की के रूप में की, शव को गम्भीरता पूर्वक तस्दीक करने हेतु परिजनों को जिला अस्पताल लोढ़ी रॉबर्ट्सगंज भेजा गया। जहाँ पर निहोरा राम द्वारा तस्दीक किया गया कि यह शव उसकी बेटी अनूपा कुमारी का ही है। दिनांक 21.01.2025 को निहोरा राम द्वारा थाना कोन पर अपनी लड़की अनूपा कुमारी की दहेज उत्पीड़न के संबंध में तहरीर दी गयी जिसके आधार पर थाना कोन पर मु0अ0सं0- 13/25 धारा 85/80(2)/238 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम राजू रंजन राम आदि पंजीकृत किया गया। पंजीकृत अभियोग के अनावरण के सम्बन्ध में मृतका अनूपा व उसके पति राजू व अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाइल नम्बरों की सीडीआर प्राप्त कर अवलोकन व साक्ष्य संकलन किया गया तो ज्ञात हुआ कि मृतका का पित राजू रंजन राम उसके दोस्त दीपक कुमार शर्मा व पीयूष शर्मा ने मिलकर अनूपा कुमारी की हत्या की है।

- 01. राजू रंजन राम पुत्र रामआधार राम उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी ग्राम हुसरू करिवाडीह थाना खरौंधी जनपद गढवा झारखण्ड।
- 02. दीपक कुमार पुत्र सुदामा शर्मा उम्र लगभग 21 वर्ष निवासी ग्राम बहुअरा थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 03. पीयूष शर्मा पुत्र जसवन्त शर्मा उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी ग्राम बहुअरा थाना कोन जनपद सोनभद्रष

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो राजू रंजन ने बताया कि उसने अपनी पत्नी अनूपा कुमारी व अपने मित्रों दीपक कुमार व पीयूष शर्मा को फोन करके कोन में बुलाया था जहां से राजू अपनी पत्नी अनूपा के साथ लिफ्ट लेकर तथा दीपक व पीयूष एक मोटर साइकिल पर बैठकर कोन से रोगही पड़रछ जंगल में जाकर तीनों ने अनूपा कुमारी का गला दबाकर व पत्थर से सिर लड़ाकर हत्या कर दी थी।

बरामदगी का विवरण-

आला कत्ल पत्थर, मृतका का मोबाइल, व एक मोटरसाईकिल बरामद।

- 01. प्र0नि0 गोपाल जी गुप्ता थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 02. उ0नि0 वंशनारायण राय चौकी प्रभारी बागेसोती थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 03. उ0नि0 मनोज कुमार सिंह चौकी प्रभारी चकरिया थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 04. हे0का0 मुकेश कुमार यादव थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 05. हे0का0 महफूज अली चौकी चकरिया थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 06. का0 अंकित वर्मा थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 07. का0 निरंजन कुमार थाना कोन जनपद सोनभद्र।

सोनभद्र पुलिस को अथक परिश्रम से मिली सफलता, पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी व उसके दो साथियों को किया गिरफ्तार-

प्रकरण- दिनांक 18.01.2025 को थाना कोन पर सूचना मिली की पड़रछ के जंगल में एक अज्ञात लड़की उम्र करीब 25 वर्ष का शव पड़ा है। उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोन द्वारा मौके पर पहुँचकर उच्चाधिकारीगण को अवगत कराते हुए शव के शिनाख्त हेत् फोटो लेकर आस पास के लोगो से जानकारी करने का प्रयास किया परन्त् कुछ लाभप्रद जानकारी प्राप्त नहीं हुई, मौके पर ही फॉरेंसिक टीम व सर्विलान्स टीम को बुलाया गया जिससे शव का शिनाख्त किया जा सके। शव का शिनाख्त न हो पाने की दशा में नियमानुसार मृतका के शव के पंयातनामा की कार्यवाही कराकर शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल लोढी मॉर्चरी हाऊस में रखवाया गया था। अज्ञात महिला के शव के शिनाख्त कराने हेतु कस्बा कोन से तेलगुड़वा तक सीसीटीवी फुटेज लिया गया तथा लोगों से महिला का फोटो दिखाकर पहचान करने का सार्थक प्रयास किया गया। शव के शिनाख्त हेतू इलेक्ट्रानिक संचार के माध्यम वाट्सअप , फेसबुक , इंस्टाग्राम आदि में प्रचार-प्रसार कराया गया तथा महिला के शव के पास से बरामद चप्पल ब्लू टैगा कम्पनी की पहचान हेतु ओबरा, डाला, कोन, खरौंधी, गढ़वा आदि क्षेत्रों में चप्पल की दुकानो पर जानकारी करने हेत् प्रयास किया गया। तत्पश्चात उच्चाधिकारीगण के आदेश के अनुक्रम में टीमें बनाकर सोनभद्र, मीरजापुर, वाराणसी, गढ़वा क्षेत्रों में शिनाख्त हेतु भेजा गया था। इसी बीच एक व्यक्ति द्वारा यह बताया गया कि जो अज्ञात शव आपके यहां मिला है वह बजरमरवा गांव का है। इस सूचना पर थाना कोन पुलिस ने ग्राम बजरमरवा थाना खरौंधी(झारखण्ड) में पहुंचकर पूछताछ किया गया तो वहां पर निहोरा राम नाम के व्यक्ति ने अज्ञात शव की पहचान अपनी लड़की के रूप में की, शव को गम्भीरता पूर्वक तस्दीक करने हेतु परिजनों को जिला अस्पताल लोढ़ी रॉबर्ट्सगंज भेजा गया। जहाँ पर निहोरा राम द्वारा तस्दीक किया गया कि यह शव उसकी बेटी अनूपा कुमारी का ही है। दिनांक 21.01.2025 को निहोरा राम द्वारा थाना कोन पर अपनी लड़की अनूपा कुमारी की दहेज उत्पीड़न के संबंध में तहरीर दी गयी जिसके आधार पर थाना कोन पर मु0अ0सं0- 13/25 धारा 85/80(2)/238 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम राजू रंजन राम आदि पंजीकृत किया गया। पंजीकृत अभियोग के अनावरण के सम्बन्ध में मृतका अनूपा व उसके पति राजू व अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाइल नम्बरों की सीडीआर प्राप्त कर अवलोकन व साक्ष्य संकलन किया गया तो ज्ञात हुआ कि मृतका का पित राजू रंजन राम उसके दोस्त दीपक कुमार शर्मा व पीयूष शर्मा ने मिलकर अनूपा कुमारी की हत्या की है।

- 01. राजू रंजन राम पुत्र रामआधार राम उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी ग्राम हुसरू करिवाडीह थाना खरौंधी जनपद गढवा झारखण्ड।
- 02. दीपक कुमार पुत्र सुदामा शर्मा उम्र लगभग 21 वर्ष निवासी ग्राम बहुअरा थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 03. पीयूष शर्मा पुत्र जसवन्त शर्मा उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी ग्राम बहुअरा थाना कोन जनपद सोनभद्रष

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो राजू रंजन ने बताया कि उसने अपनी पत्नी अनूपा कुमारी व अपने मित्रों दीपक कुमार व पीयूष शर्मा को फोन करके कोन में बुलाया था जहां से राजू अपनी पत्नी अनूपा के साथ लिफ्ट लेकर तथा दीपक व पीयूष एक मोटर साइकिल पर बैठकर कोन से रोगही पड़रछ जंगल में जाकर तीनों ने अनूपा कुमारी का गला दबाकर व पत्थर से सिर लड़ाकर हत्या कर दी थी।

बरामदगी का विवरण-

आला कत्ल पत्थर, मृतका का मोबाइल, व एक मोटरसाईकिल बरामद।

- 01. प्र0नि0 गोपाल जी गुप्ता थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 02. उ0नि0 वंशनारायण राय चौकी प्रभारी बागेसोती थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 03. उ0नि0 मनोज कुमार सिंह चौकी प्रभारी चकरिया थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 04. हे0का0 मुकेश कुमार यादव थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 05. हे0का0 महफूज अली चौकी चकरिया थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 06. का0 अंकित वर्मा थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 07. का0 निरंजन कुमार थाना कोन जनपद सोनभद्र।

सोनभद्र पुलिस को अथक परिश्रम से मिली सफलता, पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी व उसके दो साथियों को किया गिरफ्तार-

प्रकरण- दिनांक 18.01.2025 को थाना कोन पर सूचना मिली की पड़रछ के जंगल में एक अज्ञात लड़की उम्र करीब 25 वर्ष का शव पड़ा है। उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोन द्वारा मौके पर पहुँचकर उच्चाधिकारीगण को अवगत कराते हुए शव के शिनाख्त हेत् फोटो लेकर आस पास के लोगो से जानकारी करने का प्रयास किया परन्त् कुछ लाभप्रद जानकारी प्राप्त नहीं हुई, मौके पर ही फॉरेंसिक टीम व सर्विलान्स टीम को बुलाया गया जिससे शव का शिनाख्त किया जा सके। शव का शिनाख्त न हो पाने की दशा में नियमानुसार मृतका के शव के पंयातनामा की कार्यवाही कराकर शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल लोढी मॉर्चरी हाऊस में रखवाया गया था। अज्ञात महिला के शव के शिनाख्त कराने हेतु कस्बा कोन से तेलगुड़वा तक सीसीटीवी फुटेज लिया गया तथा लोगों से महिला का फोटो दिखाकर पहचान करने का सार्थक प्रयास किया गया। शव के शिनाख्त हेतू इलेक्ट्रानिक संचार के माध्यम वाट्सअप , फेसबुक , इंस्टाग्राम आदि में प्रचार-प्रसार कराया गया तथा महिला के शव के पास से बरामद चप्पल ब्लू टैगा कम्पनी की पहचान हेतु ओबरा, डाला, कोन, खरौंधी, गढ़वा आदि क्षेत्रों में चप्पल की दुकानो पर जानकारी करने हेत् प्रयास किया गया। तत्पश्चात उच्चाधिकारीगण के आदेश के अनुक्रम में टीमें बनाकर सोनभद्र, मीरजापुर, वाराणसी, गढ़वा क्षेत्रों में शिनाख्त हेतु भेजा गया था। इसी बीच एक व्यक्ति द्वारा यह बताया गया कि जो अज्ञात शव आपके यहां मिला है वह बजरमरवा गांव का है। इस सूचना पर थाना कोन पुलिस ने ग्राम बजरमरवा थाना खरौंधी(झारखण्ड) में पहुंचकर पूछताछ किया गया तो वहां पर निहोरा राम नाम के व्यक्ति ने अज्ञात शव की पहचान अपनी लड़की के रूप में की, शव को गम्भीरता पूर्वक तस्दीक करने हेतु परिजनों को जिला अस्पताल लोढ़ी रॉबर्ट्सगंज भेजा गया। जहाँ पर निहोरा राम द्वारा तस्दीक किया गया कि यह शव उसकी बेटी अनूपा कुमारी का ही है। दिनांक 21.01.2025 को निहोरा राम द्वारा थाना कोन पर अपनी लड़की अनूपा कुमारी की दहेज उत्पीड़न के संबंध में तहरीर दी गयी जिसके आधार पर थाना कोन पर मु0अ0सं0- 13/25 धारा 85/80(2)/238 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम राजू रंजन राम आदि पंजीकृत किया गया। पंजीकृत अभियोग के अनावरण के सम्बन्ध में मृतका अनूपा व उसके पति राजू व अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाइल नम्बरों की सीडीआर प्राप्त कर अवलोकन व साक्ष्य संकलन किया गया तो ज्ञात हुआ कि मृतका का पित राजू रंजन राम उसके दोस्त दीपक कुमार शर्मा व पीयूष शर्मा ने मिलकर अनूपा कुमारी की हत्या की है।

- 01. राजू रंजन राम पुत्र रामआधार राम उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी ग्राम हुसरू करिवाडीह थाना खरौंधी जनपद गढवा झारखण्ड।
- 02. दीपक कुमार पुत्र सुदामा शर्मा उम्र लगभग 21 वर्ष निवासी ग्राम बहुअरा थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 03. पीयूष शर्मा पुत्र जसवन्त शर्मा उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी ग्राम बहुअरा थाना कोन जनपद सोनभद्रष

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो राजू रंजन ने बताया कि उसने अपनी पत्नी अनूपा कुमारी व अपने मित्रों दीपक कुमार व पीयूष शर्मा को फोन करके कोन में बुलाया था जहां से राजू अपनी पत्नी अनूपा के साथ लिफ्ट लेकर तथा दीपक व पीयूष एक मोटर साइकिल पर बैठकर कोन से रोगही पड़रछ जंगल में जाकर तीनों ने अनूपा कुमारी का गला दबाकर व पत्थर से सिर लड़ाकर हत्या कर दी थी।

बरामदगी का विवरण-

आला कत्ल पत्थर, मृतका का मोबाइल, व एक मोटरसाईकिल बरामद।

- 01. प्र0नि0 गोपाल जी गुप्ता थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 02. उ0नि0 वंशनारायण राय चौकी प्रभारी बागेसोती थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 03. उ0नि0 मनोज कुमार सिंह चौकी प्रभारी चकरिया थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 04. हे0का0 मुकेश कुमार यादव थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 05. हे0का0 महफूज अली चौकी चकरिया थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 06. का0 अंकित वर्मा थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 07. का0 निरंजन कुमार थाना कोन जनपद सोनभद्र।

सोनभद्र पुलिस को अथक परिश्रम से मिली सफलता, पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी व उसके दो साथियों को किया गिरफ्तार-

प्रकरण- दिनांक 18.01.2025 को थाना कोन पर सूचना मिली की पड़रछ के जंगल में एक अज्ञात लड़की उम्र करीब 25 वर्ष का शव पड़ा है। उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोन द्वारा मौके पर पहुँचकर उच्चाधिकारीगण को अवगत कराते हुए शव के शिनाख्त हेत् फोटो लेकर आस पास के लोगो से जानकारी करने का प्रयास किया परन्त् कुछ लाभप्रद जानकारी प्राप्त नहीं हुई, मौके पर ही फॉरेंसिक टीम व सर्विलान्स टीम को बुलाया गया जिससे शव का शिनाख्त किया जा सके। शव का शिनाख्त न हो पाने की दशा में नियमानुसार मृतका के शव के पंयातनामा की कार्यवाही कराकर शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल लोढी मॉर्चरी हाऊस में रखवाया गया था। अज्ञात महिला के शव के शिनाख्त कराने हेतु कस्बा कोन से तेलगुड़वा तक सीसीटीवी फुटेज लिया गया तथा लोगों से महिला का फोटो दिखाकर पहचान करने का सार्थक प्रयास किया गया। शव के शिनाख्त हेतू इलेक्ट्रानिक संचार के माध्यम वाट्सअप , फेसबुक , इंस्टाग्राम आदि में प्रचार-प्रसार कराया गया तथा महिला के शव के पास से बरामद चप्पल ब्लू टैगा कम्पनी की पहचान हेतु ओबरा, डाला, कोन, खरौंधी, गढ़वा आदि क्षेत्रों में चप्पल की दुकानो पर जानकारी करने हेत् प्रयास किया गया। तत्पश्चात उच्चाधिकारीगण के आदेश के अनुक्रम में टीमें बनाकर सोनभद्र, मीरजापुर, वाराणसी, गढ़वा क्षेत्रों में शिनाख्त हेतु भेजा गया था। इसी बीच एक व्यक्ति द्वारा यह बताया गया कि जो अज्ञात शव आपके यहां मिला है वह बजरमरवा गांव का है। इस सूचना पर थाना कोन पुलिस ने ग्राम बजरमरवा थाना खरौंधी(झारखण्ड) में पहुंचकर पूछताछ किया गया तो वहां पर निहोरा राम नाम के व्यक्ति ने अज्ञात शव की पहचान अपनी लड़की के रूप में की, शव को गम्भीरता पूर्वक तस्दीक करने हेतु परिजनों को जिला अस्पताल लोढ़ी रॉबर्ट्सगंज भेजा गया। जहाँ पर निहोरा राम द्वारा तस्दीक किया गया कि यह शव उसकी बेटी अनूपा कुमारी का ही है। दिनांक 21.01.2025 को निहोरा राम द्वारा थाना कोन पर अपनी लड़की अनूपा कुमारी की दहेज उत्पीड़न के संबंध में तहरीर दी गयी जिसके आधार पर थाना कोन पर मु0अ0सं0- 13/25 धारा 85/80(2)/238 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम राजू रंजन राम आदि पंजीकृत किया गया। पंजीकृत अभियोग के अनावरण के सम्बन्ध में मृतका अनूपा व उसके पति राजू व अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाइल नम्बरों की सीडीआर प्राप्त कर अवलोकन व साक्ष्य संकलन किया गया तो ज्ञात हुआ कि मृतका का पित राजू रंजन राम उसके दोस्त दीपक कुमार शर्मा व पीयूष शर्मा ने मिलकर अनूपा कुमारी की हत्या की है।

- 01. राजू रंजन राम पुत्र रामआधार राम उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी ग्राम हुसरू करिवाडीह थाना खरौंधी जनपद गढवा झारखण्ड।
- 02. दीपक कुमार पुत्र सुदामा शर्मा उम्र लगभग 21 वर्ष निवासी ग्राम बहुअरा थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 03. पीयूष शर्मा पुत्र जसवन्त शर्मा उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी ग्राम बहुअरा थाना कोन जनपद सोनभद्रष

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो राजू रंजन ने बताया कि उसने अपनी पत्नी अनूपा कुमारी व अपने मित्रों दीपक कुमार व पीयूष शर्मा को फोन करके कोन में बुलाया था जहां से राजू अपनी पत्नी अनूपा के साथ लिफ्ट लेकर तथा दीपक व पीयूष एक मोटर साइकिल पर बैठकर कोन से रोगही पड़रछ जंगल में जाकर तीनों ने अनूपा कुमारी का गला दबाकर व पत्थर से सिर लड़ाकर हत्या कर दी थी।

बरामदगी का विवरण-

आला कत्ल पत्थर, मृतका का मोबाइल, व एक मोटरसाईकिल बरामद।

- 01. प्र0नि0 गोपाल जी गुप्ता थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 02. उ0नि0 वंशनारायण राय चौकी प्रभारी बागेसोती थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 03. उ0नि0 मनोज कुमार सिंह चौकी प्रभारी चकरिया थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 04. हे0का0 मुकेश कुमार यादव थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 05. हे0का0 महफूज अली चौकी चकरिया थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 06. का0 अंकित वर्मा थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 07. का0 निरंजन कुमार थाना कोन जनपद सोनभद्र।

सोनभद्र पुलिस को अथक परिश्रम से मिली सफलता, पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी व उसके दो साथियों को किया गिरफ्तार-

प्रकरण- दिनांक 18.01.2025 को थाना कोन पर सूचना मिली की पड़रछ के जंगल में एक अज्ञात लड़की उम्र करीब 25 वर्ष का शव पड़ा है। उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोन द्वारा मौके पर पहुँचकर उच्चाधिकारीगण को अवगत कराते हुए शव के शिनाख्त हेत् फोटो लेकर आस पास के लोगो से जानकारी करने का प्रयास किया परन्त् कुछ लाभप्रद जानकारी प्राप्त नहीं हुई, मौके पर ही फॉरेंसिक टीम व सर्विलान्स टीम को बुलाया गया जिससे शव का शिनाख्त किया जा सके। शव का शिनाख्त न हो पाने की दशा में नियमानुसार मृतका के शव के पंयातनामा की कार्यवाही कराकर शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल लोढी मॉर्चरी हाऊस में रखवाया गया था। अज्ञात महिला के शव के शिनाख्त कराने हेतु कस्बा कोन से तेलगुड़वा तक सीसीटीवी फुटेज लिया गया तथा लोगों से महिला का फोटो दिखाकर पहचान करने का सार्थक प्रयास किया गया। शव के शिनाख्त हेतू इलेक्ट्रानिक संचार के माध्यम वाट्सअप , फेसबुक , इंस्टाग्राम आदि में प्रचार-प्रसार कराया गया तथा महिला के शव के पास से बरामद चप्पल ब्लू टैगा कम्पनी की पहचान हेतु ओबरा, डाला, कोन, खरौंधी, गढ़वा आदि क्षेत्रों में चप्पल की दुकानो पर जानकारी करने हेत् प्रयास किया गया। तत्पश्चात उच्चाधिकारीगण के आदेश के अनुक्रम में टीमें बनाकर सोनभद्र, मीरजापुर, वाराणसी, गढ़वा क्षेत्रों में शिनाख्त हेतु भेजा गया था। इसी बीच एक व्यक्ति द्वारा यह बताया गया कि जो अज्ञात शव आपके यहां मिला है वह बजरमरवा गांव का है। इस सूचना पर थाना कोन पुलिस ने ग्राम बजरमरवा थाना खरौंधी(झारखण्ड) में पहुंचकर पूछताछ किया गया तो वहां पर निहोरा राम नाम के व्यक्ति ने अज्ञात शव की पहचान अपनी लड़की के रूप में की, शव को गम्भीरता पूर्वक तस्दीक करने हेतु परिजनों को जिला अस्पताल लोढ़ी रॉबर्ट्सगंज भेजा गया। जहाँ पर निहोरा राम द्वारा तस्दीक किया गया कि यह शव उसकी बेटी अनूपा कुमारी का ही है। दिनांक 21.01.2025 को निहोरा राम द्वारा थाना कोन पर अपनी लड़की अनूपा कुमारी की दहेज उत्पीड़न के संबंध में तहरीर दी गयी जिसके आधार पर थाना कोन पर मु0अ0सं0- 13/25 धारा 85/80(2)/238 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम राजू रंजन राम आदि पंजीकृत किया गया। पंजीकृत अभियोग के अनावरण के सम्बन्ध में मृतका अनूपा व उसके पति राजू व अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाइल नम्बरों की सीडीआर प्राप्त कर अवलोकन व साक्ष्य संकलन किया गया तो ज्ञात हुआ कि मृतका का पित राजू रंजन राम उसके दोस्त दीपक कुमार शर्मा व पीयूष शर्मा ने मिलकर अनूपा कुमारी की हत्या की है।

- 01. राजू रंजन राम पुत्र रामआधार राम उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी ग्राम हुसरू करिवाडीह थाना खरौंधी जनपद गढवा झारखण्ड।
- 02. दीपक कुमार पुत्र सुदामा शर्मा उम्र लगभग 21 वर्ष निवासी ग्राम बहुअरा थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 03. पीयूष शर्मा पुत्र जसवन्त शर्मा उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी ग्राम बहुअरा थाना कोन जनपद सोनभद्रष

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो राजू रंजन ने बताया कि उसने अपनी पत्नी अनूपा कुमारी व अपने मित्रों दीपक कुमार व पीयूष शर्मा को फोन करके कोन में बुलाया था जहां से राजू अपनी पत्नी अनूपा के साथ लिफ्ट लेकर तथा दीपक व पीयूष एक मोटर साइकिल पर बैठकर कोन से रोगही पड़रछ जंगल में जाकर तीनों ने अनूपा कुमारी का गला दबाकर व पत्थर से सिर लड़ाकर हत्या कर दी थी।

बरामदगी का विवरण-

आला कत्ल पत्थर, मृतका का मोबाइल, व एक मोटरसाईकिल बरामद।

- 01. प्र0नि0 गोपाल जी गुप्ता थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 02. उ0नि0 वंशनारायण राय चौकी प्रभारी बागेसोती थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 03. उ0नि0 मनोज कुमार सिंह चौकी प्रभारी चकरिया थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 04. हे0का0 मुकेश कुमार यादव थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 05. हे0का0 महफूज अली चौकी चकरिया थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 06. का0 अंकित वर्मा थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 07. का0 निरंजन कुमार थाना कोन जनपद सोनभद्र।

सोनभद्र पुलिस को अथक परिश्रम से मिली सफलता, पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी व उसके दो साथियों को किया गिरफ्तार-

प्रकरण- दिनांक 18.01.2025 को थाना कोन पर सूचना मिली की पड़रछ के जंगल में एक अज्ञात लड़की उम्र करीब 25 वर्ष का शव पड़ा है। उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोन द्वारा मौके पर पहुँचकर उच्चाधिकारीगण को अवगत कराते हुए शव के शिनाख्त हेत् फोटो लेकर आस पास के लोगो से जानकारी करने का प्रयास किया परन्त् कुछ लाभप्रद जानकारी प्राप्त नहीं हुई, मौके पर ही फॉरेंसिक टीम व सर्विलान्स टीम को बुलाया गया जिससे शव का शिनाख्त किया जा सके। शव का शिनाख्त न हो पाने की दशा में नियमानुसार मृतका के शव के पंयातनामा की कार्यवाही कराकर शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल लोढी मॉर्चरी हाऊस में रखवाया गया था। अज्ञात महिला के शव के शिनाख्त कराने हेतु कस्बा कोन से तेलगुड़वा तक सीसीटीवी फुटेज लिया गया तथा लोगों से महिला का फोटो दिखाकर पहचान करने का सार्थक प्रयास किया गया। शव के शिनाख्त हेतू इलेक्ट्रानिक संचार के माध्यम वाट्सअप , फेसबुक , इंस्टाग्राम आदि में प्रचार-प्रसार कराया गया तथा महिला के शव के पास से बरामद चप्पल ब्लू टैगा कम्पनी की पहचान हेतु ओबरा, डाला, कोन, खरौंधी, गढ़वा आदि क्षेत्रों में चप्पल की दुकानो पर जानकारी करने हेत् प्रयास किया गया। तत्पश्चात उच्चाधिकारीगण के आदेश के अनुक्रम में टीमें बनाकर सोनभद्र, मीरजापुर, वाराणसी, गढ़वा क्षेत्रों में शिनाख्त हेतु भेजा गया था। इसी बीच एक व्यक्ति द्वारा यह बताया गया कि जो अज्ञात शव आपके यहां मिला है वह बजरमरवा गांव का है। इस सूचना पर थाना कोन पुलिस ने ग्राम बजरमरवा थाना खरौंधी(झारखण्ड) में पहुंचकर पूछताछ किया गया तो वहां पर निहोरा राम नाम के व्यक्ति ने अज्ञात शव की पहचान अपनी लड़की के रूप में की, शव को गम्भीरता पूर्वक तस्दीक करने हेतु परिजनों को जिला अस्पताल लोढ़ी रॉबर्ट्सगंज भेजा गया। जहाँ पर निहोरा राम द्वारा तस्दीक किया गया कि यह शव उसकी बेटी अनूपा कुमारी का ही है। दिनांक 21.01.2025 को निहोरा राम द्वारा थाना कोन पर अपनी लड़की अनूपा कुमारी की दहेज उत्पीड़न के संबंध में तहरीर दी गयी जिसके आधार पर थाना कोन पर मु0अ0सं0- 13/25 धारा 85/80(2)/238 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम राजू रंजन राम आदि पंजीकृत किया गया। पंजीकृत अभियोग के अनावरण के सम्बन्ध में मृतका अनूपा व उसके पति राजू व अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाइल नम्बरों की सीडीआर प्राप्त कर अवलोकन व साक्ष्य संकलन किया गया तो ज्ञात हुआ कि मृतका का पित राजू रंजन राम उसके दोस्त दीपक कुमार शर्मा व पीयूष शर्मा ने मिलकर अनूपा कुमारी की हत्या की है।

- 01. राजू रंजन राम पुत्र रामआधार राम उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी ग्राम हुसरू करिवाडीह थाना खरौंधी जनपद गढवा झारखण्ड।
- 02. दीपक कुमार पुत्र सुदामा शर्मा उम्र लगभग 21 वर्ष निवासी ग्राम बहुअरा थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 03. पीयूष शर्मा पुत्र जसवन्त शर्मा उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी ग्राम बहुअरा थाना कोन जनपद सोनभद्रष

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो राजू रंजन ने बताया कि उसने अपनी पत्नी अनूपा कुमारी व अपने मित्रों दीपक कुमार व पीयूष शर्मा को फोन करके कोन में बुलाया था जहां से राजू अपनी पत्नी अनूपा के साथ लिफ्ट लेकर तथा दीपक व पीयूष एक मोटर साइकिल पर बैठकर कोन से रोगही पड़रछ जंगल में जाकर तीनों ने अनूपा कुमारी का गला दबाकर व पत्थर से सिर लड़ाकर हत्या कर दी थी।

बरामदगी का विवरण-

आला कत्ल पत्थर, मृतका का मोबाइल, व एक मोटरसाईकिल बरामद।

- 01. प्र0नि0 गोपाल जी गुप्ता थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 02. उ0नि0 वंशनारायण राय चौकी प्रभारी बागेसोती थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 03. उ0नि0 मनोज कुमार सिंह चौकी प्रभारी चकरिया थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 04. हे0का0 मुकेश कुमार यादव थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 05. हे0का0 महफूज अली चौकी चकरिया थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 06. का0 अंकित वर्मा थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 07. का0 निरंजन कुमार थाना कोन जनपद सोनभद्र।

सोनभद्र पुलिस को अथक परिश्रम से मिली सफलता, पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी व उसके दो साथियों को किया गिरफ्तार-

प्रकरण- दिनांक 18.01.2025 को थाना कोन पर सूचना मिली की पड़रछ के जंगल में एक अज्ञात लड़की उम्र करीब 25 वर्ष का शव पड़ा है। उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोन द्वारा मौके पर पहुँचकर उच्चाधिकारीगण को अवगत कराते हुए शव के शिनाख्त हेत् फोटो लेकर आस पास के लोगो से जानकारी करने का प्रयास किया परन्त् कुछ लाभप्रद जानकारी प्राप्त नहीं हुई, मौके पर ही फॉरेंसिक टीम व सर्विलान्स टीम को बुलाया गया जिससे शव का शिनाख्त किया जा सके। शव का शिनाख्त न हो पाने की दशा में नियमानुसार मृतका के शव के पंयातनामा की कार्यवाही कराकर शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल लोढी मॉर्चरी हाऊस में रखवाया गया था। अज्ञात महिला के शव के शिनाख्त कराने हेतु कस्बा कोन से तेलगुड़वा तक सीसीटीवी फुटेज लिया गया तथा लोगों से महिला का फोटो दिखाकर पहचान करने का सार्थक प्रयास किया गया। शव के शिनाख्त हेतू इलेक्ट्रानिक संचार के माध्यम वाट्सअप , फेसबुक , इंस्टाग्राम आदि में प्रचार-प्रसार कराया गया तथा महिला के शव के पास से बरामद चप्पल ब्लू टैगा कम्पनी की पहचान हेतु ओबरा, डाला, कोन, खरौंधी, गढ़वा आदि क्षेत्रों में चप्पल की दुकानो पर जानकारी करने हेत् प्रयास किया गया। तत्पश्चात उच्चाधिकारीगण के आदेश के अनुक्रम में टीमें बनाकर सोनभद्र, मीरजापुर, वाराणसी, गढ़वा क्षेत्रों में शिनाख्त हेतु भेजा गया था। इसी बीच एक व्यक्ति द्वारा यह बताया गया कि जो अज्ञात शव आपके यहां मिला है वह बजरमरवा गांव का है। इस सूचना पर थाना कोन पुलिस ने ग्राम बजरमरवा थाना खरौंधी(झारखण्ड) में पहुंचकर पूछताछ किया गया तो वहां पर निहोरा राम नाम के व्यक्ति ने अज्ञात शव की पहचान अपनी लड़की के रूप में की, शव को गम्भीरता पूर्वक तस्दीक करने हेतु परिजनों को जिला अस्पताल लोढ़ी रॉबर्ट्सगंज भेजा गया। जहाँ पर निहोरा राम द्वारा तस्दीक किया गया कि यह शव उसकी बेटी अनूपा कुमारी का ही है। दिनांक 21.01.2025 को निहोरा राम द्वारा थाना कोन पर अपनी लड़की अनूपा कुमारी की दहेज उत्पीड़न के संबंध में तहरीर दी गयी जिसके आधार पर थाना कोन पर मु0अ0सं0- 13/25 धारा 85/80(2)/238 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम राजू रंजन राम आदि पंजीकृत किया गया। पंजीकृत अभियोग के अनावरण के सम्बन्ध में मृतका अनूपा व उसके पति राजू व अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाइल नम्बरों की सीडीआर प्राप्त कर अवलोकन व साक्ष्य संकलन किया गया तो ज्ञात हुआ कि मृतका का पित राजू रंजन राम उसके दोस्त दीपक कुमार शर्मा व पीयूष शर्मा ने मिलकर अनूपा कुमारी की हत्या की है।

- 01. राजू रंजन राम पुत्र रामआधार राम उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी ग्राम हुसरू करिवाडीह थाना खरौंधी जनपद गढवा झारखण्ड।
- 02. दीपक कुमार पुत्र सुदामा शर्मा उम्र लगभग 21 वर्ष निवासी ग्राम बहुअरा थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 03. पीयूष शर्मा पुत्र जसवन्त शर्मा उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी ग्राम बहुअरा थाना कोन जनपद सोनभद्रष

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो राजू रंजन ने बताया कि उसने अपनी पत्नी अनूपा कुमारी व अपने मित्रों दीपक कुमार व पीयूष शर्मा को फोन करके कोन में बुलाया था जहां से राजू अपनी पत्नी अनूपा के साथ लिफ्ट लेकर तथा दीपक व पीयूष एक मोटर साइकिल पर बैठकर कोन से रोगही पड़रछ जंगल में जाकर तीनों ने अनूपा कुमारी का गला दबाकर व पत्थर से सिर लड़ाकर हत्या कर दी थी।

बरामदगी का विवरण-

आला कत्ल पत्थर, मृतका का मोबाइल, व एक मोटरसाईकिल बरामद।

- 01. प्र0नि0 गोपाल जी गुप्ता थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 02. उ0नि0 वंशनारायण राय चौकी प्रभारी बागेसोती थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 03. उ0नि0 मनोज कुमार सिंह चौकी प्रभारी चकरिया थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 04. हे0का0 मुकेश कुमार यादव थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 05. हे0का0 महफूज अली चौकी चकरिया थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 06. का0 अंकित वर्मा थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 07. का0 निरंजन कुमार थाना कोन जनपद सोनभद्र।

सोनभद्र पुलिस को अथक परिश्रम से मिली सफलता, पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी व उसके दो साथियों को किया गिरफ्तार-

प्रकरण- दिनांक 18.01.2025 को थाना कोन पर सूचना मिली की पड़रछ के जंगल में एक अज्ञात लड़की उम्र करीब 25 वर्ष का शव पड़ा है। उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोन द्वारा मौके पर पहुँचकर उच्चाधिकारीगण को अवगत कराते हुए शव के शिनाख्त हेत् फोटो लेकर आस पास के लोगो से जानकारी करने का प्रयास किया परन्त् कुछ लाभप्रद जानकारी प्राप्त नहीं हुई, मौके पर ही फॉरेंसिक टीम व सर्विलान्स टीम को बुलाया गया जिससे शव का शिनाख्त किया जा सके। शव का शिनाख्त न हो पाने की दशा में नियमानुसार मृतका के शव के पंयातनामा की कार्यवाही कराकर शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल लोढी मॉर्चरी हाऊस में रखवाया गया था। अज्ञात महिला के शव के शिनाख्त कराने हेतु कस्बा कोन से तेलगुड़वा तक सीसीटीवी फुटेज लिया गया तथा लोगों से महिला का फोटो दिखाकर पहचान करने का सार्थक प्रयास किया गया। शव के शिनाख्त हेतू इलेक्ट्रानिक संचार के माध्यम वाट्सअप , फेसबुक , इंस्टाग्राम आदि में प्रचार-प्रसार कराया गया तथा महिला के शव के पास से बरामद चप्पल ब्लू टैगा कम्पनी की पहचान हेतु ओबरा, डाला, कोन, खरौंधी, गढ़वा आदि क्षेत्रों में चप्पल की दुकानो पर जानकारी करने हेत् प्रयास किया गया। तत्पश्चात उच्चाधिकारीगण के आदेश के अनुक्रम में टीमें बनाकर सोनभद्र, मीरजापुर, वाराणसी, गढ़वा क्षेत्रों में शिनाख्त हेतु भेजा गया था। इसी बीच एक व्यक्ति द्वारा यह बताया गया कि जो अज्ञात शव आपके यहां मिला है वह बजरमरवा गांव का है। इस सूचना पर थाना कोन पुलिस ने ग्राम बजरमरवा थाना खरौंधी(झारखण्ड) में पहुंचकर पूछताछ किया गया तो वहां पर निहोरा राम नाम के व्यक्ति ने अज्ञात शव की पहचान अपनी लड़की के रूप में की, शव को गम्भीरता पूर्वक तस्दीक करने हेतु परिजनों को जिला अस्पताल लोढ़ी रॉबर्ट्सगंज भेजा गया। जहाँ पर निहोरा राम द्वारा तस्दीक किया गया कि यह शव उसकी बेटी अनूपा कुमारी का ही है। दिनांक 21.01.2025 को निहोरा राम द्वारा थाना कोन पर अपनी लड़की अनूपा कुमारी की दहेज उत्पीड़न के संबंध में तहरीर दी गयी जिसके आधार पर थाना कोन पर मु0अ0सं0- 13/25 धारा 85/80(2)/238 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम राजू रंजन राम आदि पंजीकृत किया गया। पंजीकृत अभियोग के अनावरण के सम्बन्ध में मृतका अनूपा व उसके पति राजू व अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाइल नम्बरों की सीडीआर प्राप्त कर अवलोकन व साक्ष्य संकलन किया गया तो ज्ञात हुआ कि मृतका का पित राजू रंजन राम उसके दोस्त दीपक कुमार शर्मा व पीयूष शर्मा ने मिलकर अनूपा कुमारी की हत्या की है।

- 01. राजू रंजन राम पुत्र रामआधार राम उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी ग्राम हुसरू करिवाडीह थाना खरौंधी जनपद गढवा झारखण्ड।
- 02. दीपक कुमार पुत्र सुदामा शर्मा उम्र लगभग 21 वर्ष निवासी ग्राम बहुअरा थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 03. पीयूष शर्मा पुत्र जसवन्त शर्मा उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी ग्राम बहुअरा थाना कोन जनपद सोनभद्रष

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो राजू रंजन ने बताया कि उसने अपनी पत्नी अनूपा कुमारी व अपने मित्रों दीपक कुमार व पीयूष शर्मा को फोन करके कोन में बुलाया था जहां से राजू अपनी पत्नी अनूपा के साथ लिफ्ट लेकर तथा दीपक व पीयूष एक मोटर साइकिल पर बैठकर कोन से रोगही पड़रछ जंगल में जाकर तीनों ने अनूपा कुमारी का गला दबाकर व पत्थर से सिर लड़ाकर हत्या कर दी थी।

बरामदगी का विवरण-

आला कत्ल पत्थर, मृतका का मोबाइल, व एक मोटरसाईकिल बरामद।

- 01. प्र0नि0 गोपाल जी गुप्ता थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 02. उ0नि0 वंशनारायण राय चौकी प्रभारी बागेसोती थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 03. उ0नि0 मनोज कुमार सिंह चौकी प्रभारी चकरिया थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 04. हे0का0 मुकेश कुमार यादव थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 05. हे0का0 महफूज अली चौकी चकरिया थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 06. का0 अंकित वर्मा थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 07. का0 निरंजन कुमार थाना कोन जनपद सोनभद्र।

सोनभद्र पुलिस को अथक परिश्रम से मिली सफलता, पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी व उसके दो साथियों को किया गिरफ्तार-

प्रकरण- दिनांक 18.01.2025 को थाना कोन पर सूचना मिली की पड़रछ के जंगल में एक अज्ञात लड़की उम्र करीब 25 वर्ष का शव पड़ा है। उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोन द्वारा मौके पर पहुँचकर उच्चाधिकारीगण को अवगत कराते हुए शव के शिनाख्त हेत् फोटो लेकर आस पास के लोगो से जानकारी करने का प्रयास किया परन्त् कुछ लाभप्रद जानकारी प्राप्त नहीं हुई, मौके पर ही फॉरेंसिक टीम व सर्विलान्स टीम को बुलाया गया जिससे शव का शिनाख्त किया जा सके। शव का शिनाख्त न हो पाने की दशा में नियमानुसार मृतका के शव के पंयातनामा की कार्यवाही कराकर शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल लोढी मॉर्चरी हाऊस में रखवाया गया था। अज्ञात महिला के शव के शिनाख्त कराने हेतु कस्बा कोन से तेलगुड़वा तक सीसीटीवी फुटेज लिया गया तथा लोगों से महिला का फोटो दिखाकर पहचान करने का सार्थक प्रयास किया गया। शव के शिनाख्त हेतू इलेक्ट्रानिक संचार के माध्यम वाट्सअप , फेसबुक , इंस्टाग्राम आदि में प्रचार-प्रसार कराया गया तथा महिला के शव के पास से बरामद चप्पल ब्लू टैगा कम्पनी की पहचान हेतु ओबरा, डाला, कोन, खरौंधी, गढ़वा आदि क्षेत्रों में चप्पल की दुकानो पर जानकारी करने हेत् प्रयास किया गया। तत्पश्चात उच्चाधिकारीगण के आदेश के अनुक्रम में टीमें बनाकर सोनभद्र, मीरजापुर, वाराणसी, गढ़वा क्षेत्रों में शिनाख्त हेतु भेजा गया था। इसी बीच एक व्यक्ति द्वारा यह बताया गया कि जो अज्ञात शव आपके यहां मिला है वह बजरमरवा गांव का है। इस सूचना पर थाना कोन पुलिस ने ग्राम बजरमरवा थाना खरौंधी(झारखण्ड) में पहुंचकर पूछताछ किया गया तो वहां पर निहोरा राम नाम के व्यक्ति ने अज्ञात शव की पहचान अपनी लड़की के रूप में की, शव को गम्भीरता पूर्वक तस्दीक करने हेतु परिजनों को जिला अस्पताल लोढ़ी रॉबर्ट्सगंज भेजा गया। जहाँ पर निहोरा राम द्वारा तस्दीक किया गया कि यह शव उसकी बेटी अनूपा कुमारी का ही है। दिनांक 21.01.2025 को निहोरा राम द्वारा थाना कोन पर अपनी लड़की अनूपा कुमारी की दहेज उत्पीड़न के संबंध में तहरीर दी गयी जिसके आधार पर थाना कोन पर मु0अ0सं0- 13/25 धारा 85/80(2)/238 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम राजू रंजन राम आदि पंजीकृत किया गया। पंजीकृत अभियोग के अनावरण के सम्बन्ध में मृतका अनूपा व उसके पति राजू व अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाइल नम्बरों की सीडीआर प्राप्त कर अवलोकन व साक्ष्य संकलन किया गया तो ज्ञात हुआ कि मृतका का पित राजू रंजन राम उसके दोस्त दीपक कुमार शर्मा व पीयूष शर्मा ने मिलकर अनूपा कुमारी की हत्या की है।

- 01. राजू रंजन राम पुत्र रामआधार राम उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी ग्राम हुसरू करिवाडीह थाना खरौंधी जनपद गढवा झारखण्ड।
- 02. दीपक कुमार पुत्र सुदामा शर्मा उम्र लगभग 21 वर्ष निवासी ग्राम बहुअरा थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 03. पीयूष शर्मा पुत्र जसवन्त शर्मा उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी ग्राम बहुअरा थाना कोन जनपद सोनभद्रष

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो राजू रंजन ने बताया कि उसने अपनी पत्नी अनूपा कुमारी व अपने मित्रों दीपक कुमार व पीयूष शर्मा को फोन करके कोन में बुलाया था जहां से राजू अपनी पत्नी अनूपा के साथ लिफ्ट लेकर तथा दीपक व पीयूष एक मोटर साइकिल पर बैठकर कोन से रोगही पड़रछ जंगल में जाकर तीनों ने अनूपा कुमारी का गला दबाकर व पत्थर से सिर लड़ाकर हत्या कर दी थी।

बरामदगी का विवरण-

आला कत्ल पत्थर, मृतका का मोबाइल, व एक मोटरसाईकिल बरामद।

- 01. प्र0नि0 गोपाल जी गुप्ता थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 02. उ0नि0 वंशनारायण राय चौकी प्रभारी बागेसोती थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 03. उ0नि0 मनोज कुमार सिंह चौकी प्रभारी चकरिया थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 04. हे0का0 मुकेश कुमार यादव थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 05. हे0का0 महफूज अली चौकी चकरिया थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 06. का0 अंकित वर्मा थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 07. का0 निरंजन कुमार थाना कोन जनपद सोनभद्र।

सोनभद्र पुलिस को अथक परिश्रम से मिली सफलता, पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी व उसके दो साथियों को किया गिरफ्तार-

प्रकरण- दिनांक 18.01.2025 को थाना कोन पर सूचना मिली की पड़रछ के जंगल में एक अज्ञात लड़की उम्र करीब 25 वर्ष का शव पड़ा है। उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोन द्वारा मौके पर पहुँचकर उच्चाधिकारीगण को अवगत कराते हुए शव के शिनाख्त हेत् फोटो लेकर आस पास के लोगो से जानकारी करने का प्रयास किया परन्त् कुछ लाभप्रद जानकारी प्राप्त नहीं हुई, मौके पर ही फॉरेंसिक टीम व सर्विलान्स टीम को बुलाया गया जिससे शव का शिनाख्त किया जा सके। शव का शिनाख्त न हो पाने की दशा में नियमानुसार मृतका के शव के पंयातनामा की कार्यवाही कराकर शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल लोढी मॉर्चरी हाऊस में रखवाया गया था। अज्ञात महिला के शव के शिनाख्त कराने हेतु कस्बा कोन से तेलगुड़वा तक सीसीटीवी फुटेज लिया गया तथा लोगों से महिला का फोटो दिखाकर पहचान करने का सार्थक प्रयास किया गया। शव के शिनाख्त हेतू इलेक्ट्रानिक संचार के माध्यम वाट्सअप , फेसबुक , इंस्टाग्राम आदि में प्रचार-प्रसार कराया गया तथा महिला के शव के पास से बरामद चप्पल ब्लू टैगा कम्पनी की पहचान हेतु ओबरा, डाला, कोन, खरौंधी, गढ़वा आदि क्षेत्रों में चप्पल की दुकानो पर जानकारी करने हेत् प्रयास किया गया। तत्पश्चात उच्चाधिकारीगण के आदेश के अनुक्रम में टीमें बनाकर सोनभद्र, मीरजापुर, वाराणसी, गढ़वा क्षेत्रों में शिनाख्त हेतु भेजा गया था। इसी बीच एक व्यक्ति द्वारा यह बताया गया कि जो अज्ञात शव आपके यहां मिला है वह बजरमरवा गांव का है। इस सूचना पर थाना कोन पुलिस ने ग्राम बजरमरवा थाना खरौंधी(झारखण्ड) में पहुंचकर पूछताछ किया गया तो वहां पर निहोरा राम नाम के व्यक्ति ने अज्ञात शव की पहचान अपनी लड़की के रूप में की, शव को गम्भीरता पूर्वक तस्दीक करने हेतु परिजनों को जिला अस्पताल लोढ़ी रॉबर्ट्सगंज भेजा गया। जहाँ पर निहोरा राम द्वारा तस्दीक किया गया कि यह शव उसकी बेटी अनूपा कुमारी का ही है। दिनांक 21.01.2025 को निहोरा राम द्वारा थाना कोन पर अपनी लड़की अनूपा कुमारी की दहेज उत्पीड़न के संबंध में तहरीर दी गयी जिसके आधार पर थाना कोन पर मु0अ0सं0- 13/25 धारा 85/80(2)/238 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम राजू रंजन राम आदि पंजीकृत किया गया। पंजीकृत अभियोग के अनावरण के सम्बन्ध में मृतका अनूपा व उसके पति राजू व अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाइल नम्बरों की सीडीआर प्राप्त कर अवलोकन व साक्ष्य संकलन किया गया तो ज्ञात हुआ कि मृतका का पित राजू रंजन राम उसके दोस्त दीपक कुमार शर्मा व पीयूष शर्मा ने मिलकर अनूपा कुमारी की हत्या की है।

- 01. राजू रंजन राम पुत्र रामआधार राम उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी ग्राम हुसरू करिवाडीह थाना खरौंधी जनपद गढवा झारखण्ड।
- 02. दीपक कुमार पुत्र सुदामा शर्मा उम्र लगभग 21 वर्ष निवासी ग्राम बहुअरा थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 03. पीयूष शर्मा पुत्र जसवन्त शर्मा उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी ग्राम बहुअरा थाना कोन जनपद सोनभद्रष

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो राजू रंजन ने बताया कि उसने अपनी पत्नी अनूपा कुमारी व अपने मित्रों दीपक कुमार व पीयूष शर्मा को फोन करके कोन में बुलाया था जहां से राजू अपनी पत्नी अनूपा के साथ लिफ्ट लेकर तथा दीपक व पीयूष एक मोटर साइकिल पर बैठकर कोन से रोगही पड़रछ जंगल में जाकर तीनों ने अनूपा कुमारी का गला दबाकर व पत्थर से सिर लड़ाकर हत्या कर दी थी।

बरामदगी का विवरण-

आला कत्ल पत्थर, मृतका का मोबाइल, व एक मोटरसाईकिल बरामद।

- 01. प्र0नि0 गोपाल जी गुप्ता थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 02. उ0नि0 वंशनारायण राय चौकी प्रभारी बागेसोती थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 03. उ0नि0 मनोज कुमार सिंह चौकी प्रभारी चकरिया थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 04. हे0का0 मुकेश कुमार यादव थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 05. हे0का0 महफूज अली चौकी चकरिया थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 06. का0 अंकित वर्मा थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 07. का0 निरंजन कुमार थाना कोन जनपद सोनभद्र।

सोनभद्र पुलिस को अथक परिश्रम से मिली सफलता, पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी व उसके दो साथियों को किया गिरफ्तार-

प्रकरण- दिनांक 18.01.2025 को थाना कोन पर सूचना मिली की पड़रछ के जंगल में एक अज्ञात लड़की उम्र करीब 25 वर्ष का शव पड़ा है। उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोन द्वारा मौके पर पहुँचकर उच्चाधिकारीगण को अवगत कराते हुए शव के शिनाख्त हेत् फोटो लेकर आस पास के लोगो से जानकारी करने का प्रयास किया परन्त् कुछ लाभप्रद जानकारी प्राप्त नहीं हुई, मौके पर ही फॉरेंसिक टीम व सर्विलान्स टीम को बुलाया गया जिससे शव का शिनाख्त किया जा सके। शव का शिनाख्त न हो पाने की दशा में नियमानुसार मृतका के शव के पंयातनामा की कार्यवाही कराकर शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल लोढी मॉर्चरी हाऊस में रखवाया गया था। अज्ञात महिला के शव के शिनाख्त कराने हेतु कस्बा कोन से तेलगुड़वा तक सीसीटीवी फुटेज लिया गया तथा लोगों से महिला का फोटो दिखाकर पहचान करने का सार्थक प्रयास किया गया। शव के शिनाख्त हेतू इलेक्ट्रानिक संचार के माध्यम वाट्सअप , फेसबुक , इंस्टाग्राम आदि में प्रचार-प्रसार कराया गया तथा महिला के शव के पास से बरामद चप्पल ब्लू टैगा कम्पनी की पहचान हेतु ओबरा, डाला, कोन, खरौंधी, गढ़वा आदि क्षेत्रों में चप्पल की दुकानो पर जानकारी करने हेत् प्रयास किया गया। तत्पश्चात उच्चाधिकारीगण के आदेश के अनुक्रम में टीमें बनाकर सोनभद्र, मीरजापुर, वाराणसी, गढ़वा क्षेत्रों में शिनाख्त हेतु भेजा गया था। इसी बीच एक व्यक्ति द्वारा यह बताया गया कि जो अज्ञात शव आपके यहां मिला है वह बजरमरवा गांव का है। इस सूचना पर थाना कोन पुलिस ने ग्राम बजरमरवा थाना खरौंधी(झारखण्ड) में पहुंचकर पूछताछ किया गया तो वहां पर निहोरा राम नाम के व्यक्ति ने अज्ञात शव की पहचान अपनी लड़की के रूप में की, शव को गम्भीरता पूर्वक तस्दीक करने हेतु परिजनों को जिला अस्पताल लोढ़ी रॉबर्ट्सगंज भेजा गया। जहाँ पर निहोरा राम द्वारा तस्दीक किया गया कि यह शव उसकी बेटी अनूपा कुमारी का ही है। दिनांक 21.01.2025 को निहोरा राम द्वारा थाना कोन पर अपनी लड़की अनूपा कुमारी की दहेज उत्पीड़न के संबंध में तहरीर दी गयी जिसके आधार पर थाना कोन पर मु0अ0सं0- 13/25 धारा 85/80(2)/238 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम राजू रंजन राम आदि पंजीकृत किया गया। पंजीकृत अभियोग के अनावरण के सम्बन्ध में मृतका अनूपा व उसके पति राजू व अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाइल नम्बरों की सीडीआर प्राप्त कर अवलोकन व साक्ष्य संकलन किया गया तो ज्ञात हुआ कि मृतका का पित राजू रंजन राम उसके दोस्त दीपक कुमार शर्मा व पीयूष शर्मा ने मिलकर अनूपा कुमारी की हत्या की है।

- 01. राजू रंजन राम पुत्र रामआधार राम उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी ग्राम हुसरू करिवाडीह थाना खरौंधी जनपद गढवा झारखण्ड।
- 02. दीपक कुमार पुत्र सुदामा शर्मा उम्र लगभग 21 वर्ष निवासी ग्राम बहुअरा थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 03. पीयूष शर्मा पुत्र जसवन्त शर्मा उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी ग्राम बहुअरा थाना कोन जनपद सोनभद्रष

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो राजू रंजन ने बताया कि उसने अपनी पत्नी अनूपा कुमारी व अपने मित्रों दीपक कुमार व पीयूष शर्मा को फोन करके कोन में बुलाया था जहां से राजू अपनी पत्नी अनूपा के साथ लिफ्ट लेकर तथा दीपक व पीयूष एक मोटर साइकिल पर बैठकर कोन से रोगही पड़रछ जंगल में जाकर तीनों ने अनूपा कुमारी का गला दबाकर व पत्थर से सिर लड़ाकर हत्या कर दी थी।

बरामदगी का विवरण-

आला कत्ल पत्थर, मृतका का मोबाइल, व एक मोटरसाईकिल बरामद।

- 01. प्र0नि0 गोपाल जी गुप्ता थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 02. उ0नि0 वंशनारायण राय चौकी प्रभारी बागेसोती थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 03. उ0नि0 मनोज कुमार सिंह चौकी प्रभारी चकरिया थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 04. हे0का0 मुकेश कुमार यादव थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 05. हे0का0 महफूज अली चौकी चकरिया थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 06. का0 अंकित वर्मा थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 07. का0 निरंजन कुमार थाना कोन जनपद सोनभद्र।

सोनभद्र पुलिस को अथक परिश्रम से मिली सफलता, पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी व उसके दो साथियों को किया गिरफ्तार-

प्रकरण- दिनांक 18.01.2025 को थाना कोन पर सूचना मिली की पड़रछ के जंगल में एक अज्ञात लड़की उम्र करीब 25 वर्ष का शव पड़ा है। उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोन द्वारा मौके पर पहुँचकर उच्चाधिकारीगण को अवगत कराते हुए शव के शिनाख्त हेत् फोटो लेकर आस पास के लोगो से जानकारी करने का प्रयास किया परन्त् कुछ लाभप्रद जानकारी प्राप्त नहीं हुई, मौके पर ही फॉरेंसिक टीम व सर्विलान्स टीम को बुलाया गया जिससे शव का शिनाख्त किया जा सके। शव का शिनाख्त न हो पाने की दशा में नियमानुसार मृतका के शव के पंयातनामा की कार्यवाही कराकर शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल लोढी मॉर्चरी हाऊस में रखवाया गया था। अज्ञात महिला के शव के शिनाख्त कराने हेतु कस्बा कोन से तेलगुड़वा तक सीसीटीवी फुटेज लिया गया तथा लोगों से महिला का फोटो दिखाकर पहचान करने का सार्थक प्रयास किया गया। शव के शिनाख्त हेतू इलेक्ट्रानिक संचार के माध्यम वाट्सअप , फेसबुक , इंस्टाग्राम आदि में प्रचार-प्रसार कराया गया तथा महिला के शव के पास से बरामद चप्पल ब्लू टैगा कम्पनी की पहचान हेतु ओबरा, डाला, कोन, खरौंधी, गढ़वा आदि क्षेत्रों में चप्पल की दुकानो पर जानकारी करने हेत् प्रयास किया गया। तत्पश्चात उच्चाधिकारीगण के आदेश के अनुक्रम में टीमें बनाकर सोनभद्र, मीरजापुर, वाराणसी, गढ़वा क्षेत्रों में शिनाख्त हेतु भेजा गया था। इसी बीच एक व्यक्ति द्वारा यह बताया गया कि जो अज्ञात शव आपके यहां मिला है वह बजरमरवा गांव का है। इस सूचना पर थाना कोन पुलिस ने ग्राम बजरमरवा थाना खरौंधी(झारखण्ड) में पहुंचकर पूछताछ किया गया तो वहां पर निहोरा राम नाम के व्यक्ति ने अज्ञात शव की पहचान अपनी लड़की के रूप में की, शव को गम्भीरता पूर्वक तस्दीक करने हेतु परिजनों को जिला अस्पताल लोढ़ी रॉबर्ट्सगंज भेजा गया। जहाँ पर निहोरा राम द्वारा तस्दीक किया गया कि यह शव उसकी बेटी अनूपा कुमारी का ही है। दिनांक 21.01.2025 को निहोरा राम द्वारा थाना कोन पर अपनी लड़की अनूपा कुमारी की दहेज उत्पीड़न के संबंध में तहरीर दी गयी जिसके आधार पर थाना कोन पर मु0अ0सं0- 13/25 धारा 85/80(2)/238 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम राजू रंजन राम आदि पंजीकृत किया गया। पंजीकृत अभियोग के अनावरण के सम्बन्ध में मृतका अनूपा व उसके पति राजू व अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाइल नम्बरों की सीडीआर प्राप्त कर अवलोकन व साक्ष्य संकलन किया गया तो ज्ञात हुआ कि मृतका का पित राजू रंजन राम उसके दोस्त दीपक कुमार शर्मा व पीयूष शर्मा ने मिलकर अनूपा कुमारी की हत्या की है।

- 01. राजू रंजन राम पुत्र रामआधार राम उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी ग्राम हुसरू करिवाडीह थाना खरौंधी जनपद गढवा झारखण्ड।
- 02. दीपक कुमार पुत्र सुदामा शर्मा उम्र लगभग 21 वर्ष निवासी ग्राम बहुअरा थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 03. पीयूष शर्मा पुत्र जसवन्त शर्मा उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी ग्राम बहुअरा थाना कोन जनपद सोनभद्रष

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो राजू रंजन ने बताया कि उसने अपनी पत्नी अनूपा कुमारी व अपने मित्रों दीपक कुमार व पीयूष शर्मा को फोन करके कोन में बुलाया था जहां से राजू अपनी पत्नी अनूपा के साथ लिफ्ट लेकर तथा दीपक व पीयूष एक मोटर साइकिल पर बैठकर कोन से रोगही पड़रछ जंगल में जाकर तीनों ने अनूपा कुमारी का गला दबाकर व पत्थर से सिर लड़ाकर हत्या कर दी थी।

बरामदगी का विवरण-

आला कत्ल पत्थर, मृतका का मोबाइल, व एक मोटरसाईकिल बरामद।

- 01. प्र0नि0 गोपाल जी गुप्ता थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 02. उ0नि0 वंशनारायण राय चौकी प्रभारी बागेसोती थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 03. उ0नि0 मनोज कुमार सिंह चौकी प्रभारी चकरिया थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 04. हे0का0 मुकेश कुमार यादव थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 05. हे0का0 महफूज अली चौकी चकरिया थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 06. का0 अंकित वर्मा थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 07. का0 निरंजन कुमार थाना कोन जनपद सोनभद्र।

सोनभद्र पुलिस को अथक परिश्रम से मिली सफलता, पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी व उसके दो साथियों को किया गिरफ्तार-

प्रकरण- दिनांक 18.01.2025 को थाना कोन पर सूचना मिली की पड़रछ के जंगल में एक अज्ञात लड़की उम्र करीब 25 वर्ष का शव पड़ा है। उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोन द्वारा मौके पर पहुँचकर उच्चाधिकारीगण को अवगत कराते हुए शव के शिनाख्त हेत् फोटो लेकर आस पास के लोगो से जानकारी करने का प्रयास किया परन्त् कुछ लाभप्रद जानकारी प्राप्त नहीं हुई, मौके पर ही फॉरेंसिक टीम व सर्विलान्स टीम को बुलाया गया जिससे शव का शिनाख्त किया जा सके। शव का शिनाख्त न हो पाने की दशा में नियमानुसार मृतका के शव के पंयातनामा की कार्यवाही कराकर शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल लोढी मॉर्चरी हाऊस में रखवाया गया था। अज्ञात महिला के शव के शिनाख्त कराने हेतु कस्बा कोन से तेलगुड़वा तक सीसीटीवी फुटेज लिया गया तथा लोगों से महिला का फोटो दिखाकर पहचान करने का सार्थक प्रयास किया गया। शव के शिनाख्त हेतू इलेक्ट्रानिक संचार के माध्यम वाट्सअप , फेसबुक , इंस्टाग्राम आदि में प्रचार-प्रसार कराया गया तथा महिला के शव के पास से बरामद चप्पल ब्लू टैगा कम्पनी की पहचान हेतु ओबरा, डाला, कोन, खरौंधी, गढ़वा आदि क्षेत्रों में चप्पल की दुकानो पर जानकारी करने हेत् प्रयास किया गया। तत्पश्चात उच्चाधिकारीगण के आदेश के अनुक्रम में टीमें बनाकर सोनभद्र, मीरजापुर, वाराणसी, गढ़वा क्षेत्रों में शिनाख्त हेतु भेजा गया था। इसी बीच एक व्यक्ति द्वारा यह बताया गया कि जो अज्ञात शव आपके यहां मिला है वह बजरमरवा गांव का है। इस सूचना पर थाना कोन पुलिस ने ग्राम बजरमरवा थाना खरौंधी(झारखण्ड) में पहुंचकर पूछताछ किया गया तो वहां पर निहोरा राम नाम के व्यक्ति ने अज्ञात शव की पहचान अपनी लड़की के रूप में की, शव को गम्भीरता पूर्वक तस्दीक करने हेतु परिजनों को जिला अस्पताल लोढ़ी रॉबर्ट्सगंज भेजा गया। जहाँ पर निहोरा राम द्वारा तस्दीक किया गया कि यह शव उसकी बेटी अनूपा कुमारी का ही है। दिनांक 21.01.2025 को निहोरा राम द्वारा थाना कोन पर अपनी लड़की अनूपा कुमारी की दहेज उत्पीड़न के संबंध में तहरीर दी गयी जिसके आधार पर थाना कोन पर मु0अ0सं0- 13/25 धारा 85/80(2)/238 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम राजू रंजन राम आदि पंजीकृत किया गया। पंजीकृत अभियोग के अनावरण के सम्बन्ध में मृतका अनूपा व उसके पति राजू व अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाइल नम्बरों की सीडीआर प्राप्त कर अवलोकन व साक्ष्य संकलन किया गया तो ज्ञात हुआ कि मृतका का पित राजू रंजन राम उसके दोस्त दीपक कुमार शर्मा व पीयूष शर्मा ने मिलकर अनूपा कुमारी की हत्या की है।

- 01. राजू रंजन राम पुत्र रामआधार राम उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी ग्राम हुसरू करिवाडीह थाना खरौंधी जनपद गढवा झारखण्ड।
- 02. दीपक कुमार पुत्र सुदामा शर्मा उम्र लगभग 21 वर्ष निवासी ग्राम बहुअरा थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 03. पीयूष शर्मा पुत्र जसवन्त शर्मा उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी ग्राम बहुअरा थाना कोन जनपद सोनभद्रष

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो राजू रंजन ने बताया कि उसने अपनी पत्नी अनूपा कुमारी व अपने मित्रों दीपक कुमार व पीयूष शर्मा को फोन करके कोन में बुलाया था जहां से राजू अपनी पत्नी अनूपा के साथ लिफ्ट लेकर तथा दीपक व पीयूष एक मोटर साइकिल पर बैठकर कोन से रोगही पड़रछ जंगल में जाकर तीनों ने अनूपा कुमारी का गला दबाकर व पत्थर से सिर लड़ाकर हत्या कर दी थी।

बरामदगी का विवरण-

आला कत्ल पत्थर, मृतका का मोबाइल, व एक मोटरसाईकिल बरामद।

- 01. प्र0नि0 गोपाल जी गुप्ता थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 02. उ0नि0 वंशनारायण राय चौकी प्रभारी बागेसोती थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 03. उ0नि0 मनोज कुमार सिंह चौकी प्रभारी चकरिया थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 04. हे0का0 मुकेश कुमार यादव थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 05. हे0का0 महफूज अली चौकी चकरिया थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 06. का0 अंकित वर्मा थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 07. का0 निरंजन कुमार थाना कोन जनपद सोनभद्र।

सोनभद्र पुलिस को अथक परिश्रम से मिली सफलता, पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी व उसके दो साथियों को किया गिरफ्तार-

प्रकरण- दिनांक 18.01.2025 को थाना कोन पर सूचना मिली की पड़रछ के जंगल में एक अज्ञात लड़की उम्र करीब 25 वर्ष का शव पड़ा है। उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोन द्वारा मौके पर पहुँचकर उच्चाधिकारीगण को अवगत कराते हुए शव के शिनाख्त हेत् फोटो लेकर आस पास के लोगो से जानकारी करने का प्रयास किया परन्त् कुछ लाभप्रद जानकारी प्राप्त नहीं हुई, मौके पर ही फॉरेंसिक टीम व सर्विलान्स टीम को बुलाया गया जिससे शव का शिनाख्त किया जा सके। शव का शिनाख्त न हो पाने की दशा में नियमानुसार मृतका के शव के पंयातनामा की कार्यवाही कराकर शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल लोढी मॉर्चरी हाऊस में रखवाया गया था। अज्ञात महिला के शव के शिनाख्त कराने हेतु कस्बा कोन से तेलगुड़वा तक सीसीटीवी फुटेज लिया गया तथा लोगों से महिला का फोटो दिखाकर पहचान करने का सार्थक प्रयास किया गया। शव के शिनाख्त हेतू इलेक्ट्रानिक संचार के माध्यम वाट्सअप , फेसबुक , इंस्टाग्राम आदि में प्रचार-प्रसार कराया गया तथा महिला के शव के पास से बरामद चप्पल ब्लू टैगा कम्पनी की पहचान हेतु ओबरा, डाला, कोन, खरौंधी, गढ़वा आदि क्षेत्रों में चप्पल की दुकानो पर जानकारी करने हेत् प्रयास किया गया। तत्पश्चात उच्चाधिकारीगण के आदेश के अनुक्रम में टीमें बनाकर सोनभद्र, मीरजापुर, वाराणसी, गढ़वा क्षेत्रों में शिनाख्त हेतु भेजा गया था। इसी बीच एक व्यक्ति द्वारा यह बताया गया कि जो अज्ञात शव आपके यहां मिला है वह बजरमरवा गांव का है। इस सूचना पर थाना कोन पुलिस ने ग्राम बजरमरवा थाना खरौंधी(झारखण्ड) में पहुंचकर पूछताछ किया गया तो वहां पर निहोरा राम नाम के व्यक्ति ने अज्ञात शव की पहचान अपनी लड़की के रूप में की, शव को गम्भीरता पूर्वक तस्दीक करने हेतु परिजनों को जिला अस्पताल लोढ़ी रॉबर्ट्सगंज भेजा गया। जहाँ पर निहोरा राम द्वारा तस्दीक किया गया कि यह शव उसकी बेटी अनूपा कुमारी का ही है। दिनांक 21.01.2025 को निहोरा राम द्वारा थाना कोन पर अपनी लड़की अनूपा कुमारी की दहेज उत्पीड़न के संबंध में तहरीर दी गयी जिसके आधार पर थाना कोन पर मु0अ0सं0- 13/25 धारा 85/80(2)/238 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम राजू रंजन राम आदि पंजीकृत किया गया। पंजीकृत अभियोग के अनावरण के सम्बन्ध में मृतका अनूपा व उसके पति राजू व अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाइल नम्बरों की सीडीआर प्राप्त कर अवलोकन व साक्ष्य संकलन किया गया तो ज्ञात हुआ कि मृतका का पित राजू रंजन राम उसके दोस्त दीपक कुमार शर्मा व पीयूष शर्मा ने मिलकर अनूपा कुमारी की हत्या की है।

- 01. राजू रंजन राम पुत्र रामआधार राम उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी ग्राम हुसरू करिवाडीह थाना खरौंधी जनपद गढवा झारखण्ड।
- 02. दीपक कुमार पुत्र सुदामा शर्मा उम्र लगभग 21 वर्ष निवासी ग्राम बहुअरा थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 03. पीयूष शर्मा पुत्र जसवन्त शर्मा उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी ग्राम बहुअरा थाना कोन जनपद सोनभद्रष

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो राजू रंजन ने बताया कि उसने अपनी पत्नी अनूपा कुमारी व अपने मित्रों दीपक कुमार व पीयूष शर्मा को फोन करके कोन में बुलाया था जहां से राजू अपनी पत्नी अनूपा के साथ लिफ्ट लेकर तथा दीपक व पीयूष एक मोटर साइकिल पर बैठकर कोन से रोगही पड़रछ जंगल में जाकर तीनों ने अनूपा कुमारी का गला दबाकर व पत्थर से सिर लड़ाकर हत्या कर दी थी।

बरामदगी का विवरण-

आला कत्ल पत्थर, मृतका का मोबाइल, व एक मोटरसाईकिल बरामद।

- 01. प्र0नि0 गोपाल जी गुप्ता थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 02. उ0नि0 वंशनारायण राय चौकी प्रभारी बागेसोती थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 03. उ0नि0 मनोज कुमार सिंह चौकी प्रभारी चकरिया थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 04. हे0का0 मुकेश कुमार यादव थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 05. हे0का0 महफूज अली चौकी चकरिया थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 06. का0 अंकित वर्मा थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 07. का0 निरंजन कुमार थाना कोन जनपद सोनभद्र।

सोनभद्र पुलिस को अथक परिश्रम से मिली सफलता, पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी व उसके दो साथियों को किया गिरफ्तार-

प्रकरण- दिनांक 18.01.2025 को थाना कोन पर सूचना मिली की पड़रछ के जंगल में एक अज्ञात लड़की उम्र करीब 25 वर्ष का शव पड़ा है। उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोन द्वारा मौके पर पहुँचकर उच्चाधिकारीगण को अवगत कराते हुए शव के शिनाख्त हेत् फोटो लेकर आस पास के लोगो से जानकारी करने का प्रयास किया परन्त् कुछ लाभप्रद जानकारी प्राप्त नहीं हुई, मौके पर ही फॉरेंसिक टीम व सर्विलान्स टीम को बुलाया गया जिससे शव का शिनाख्त किया जा सके। शव का शिनाख्त न हो पाने की दशा में नियमानुसार मृतका के शव के पंयातनामा की कार्यवाही कराकर शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल लोढी मॉर्चरी हाऊस में रखवाया गया था। अज्ञात महिला के शव के शिनाख्त कराने हेतु कस्बा कोन से तेलगुड़वा तक सीसीटीवी फुटेज लिया गया तथा लोगों से महिला का फोटो दिखाकर पहचान करने का सार्थक प्रयास किया गया। शव के शिनाख्त हेतू इलेक्ट्रानिक संचार के माध्यम वाट्सअप , फेसबुक , इंस्टाग्राम आदि में प्रचार-प्रसार कराया गया तथा महिला के शव के पास से बरामद चप्पल ब्लू टैगा कम्पनी की पहचान हेतु ओबरा, डाला, कोन, खरौंधी, गढ़वा आदि क्षेत्रों में चप्पल की दुकानो पर जानकारी करने हेत् प्रयास किया गया। तत्पश्चात उच्चाधिकारीगण के आदेश के अनुक्रम में टीमें बनाकर सोनभद्र, मीरजापुर, वाराणसी, गढ़वा क्षेत्रों में शिनाख्त हेतु भेजा गया था। इसी बीच एक व्यक्ति द्वारा यह बताया गया कि जो अज्ञात शव आपके यहां मिला है वह बजरमरवा गांव का है। इस सूचना पर थाना कोन पुलिस ने ग्राम बजरमरवा थाना खरौंधी(झारखण्ड) में पहुंचकर पूछताछ किया गया तो वहां पर निहोरा राम नाम के व्यक्ति ने अज्ञात शव की पहचान अपनी लड़की के रूप में की, शव को गम्भीरता पूर्वक तस्दीक करने हेतु परिजनों को जिला अस्पताल लोढ़ी रॉबर्ट्सगंज भेजा गया। जहाँ पर निहोरा राम द्वारा तस्दीक किया गया कि यह शव उसकी बेटी अनूपा कुमारी का ही है। दिनांक 21.01.2025 को निहोरा राम द्वारा थाना कोन पर अपनी लड़की अनूपा कुमारी की दहेज उत्पीड़न के संबंध में तहरीर दी गयी जिसके आधार पर थाना कोन पर मु0अ0सं0- 13/25 धारा 85/80(2)/238 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम राजू रंजन राम आदि पंजीकृत किया गया। पंजीकृत अभियोग के अनावरण के सम्बन्ध में मृतका अनूपा व उसके पति राजू व अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाइल नम्बरों की सीडीआर प्राप्त कर अवलोकन व साक्ष्य संकलन किया गया तो ज्ञात हुआ कि मृतका का पित राजू रंजन राम उसके दोस्त दीपक कुमार शर्मा व पीयूष शर्मा ने मिलकर अनूपा कुमारी की हत्या की है।

- 01. राजू रंजन राम पुत्र रामआधार राम उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी ग्राम हुसरू करिवाडीह थाना खरौंधी जनपद गढवा झारखण्ड।
- 02. दीपक कुमार पुत्र सुदामा शर्मा उम्र लगभग 21 वर्ष निवासी ग्राम बहुअरा थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 03. पीयूष शर्मा पुत्र जसवन्त शर्मा उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी ग्राम बहुअरा थाना कोन जनपद सोनभद्रष

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो राजू रंजन ने बताया कि उसने अपनी पत्नी अनूपा कुमारी व अपने मित्रों दीपक कुमार व पीयूष शर्मा को फोन करके कोन में बुलाया था जहां से राजू अपनी पत्नी अनूपा के साथ लिफ्ट लेकर तथा दीपक व पीयूष एक मोटर साइकिल पर बैठकर कोन से रोगही पड़रछ जंगल में जाकर तीनों ने अनूपा कुमारी का गला दबाकर व पत्थर से सिर लड़ाकर हत्या कर दी थी।

बरामदगी का विवरण-

आला कत्ल पत्थर, मृतका का मोबाइल, व एक मोटरसाईकिल बरामद।

- 01. प्र0नि0 गोपाल जी गुप्ता थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 02. उ0नि0 वंशनारायण राय चौकी प्रभारी बागेसोती थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 03. उ0नि0 मनोज कुमार सिंह चौकी प्रभारी चकरिया थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 04. हे0का0 मुकेश कुमार यादव थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 05. हे0का0 महफूज अली चौकी चकरिया थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 06. का0 अंकित वर्मा थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 07. का0 निरंजन कुमार थाना कोन जनपद सोनभद्र।

सोनभद्र पुलिस को अथक परिश्रम से मिली सफलता, पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी व उसके दो साथियों को किया गिरफ्तार-

प्रकरण- दिनांक 18.01.2025 को थाना कोन पर सूचना मिली की पड़रछ के जंगल में एक अज्ञात लड़की उम्र करीब 25 वर्ष का शव पड़ा है। उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोन द्वारा मौके पर पहुँचकर उच्चाधिकारीगण को अवगत कराते हुए शव के शिनाख्त हेत् फोटो लेकर आस पास के लोगो से जानकारी करने का प्रयास किया परन्त् कुछ लाभप्रद जानकारी प्राप्त नहीं हुई, मौके पर ही फॉरेंसिक टीम व सर्विलान्स टीम को बुलाया गया जिससे शव का शिनाख्त किया जा सके। शव का शिनाख्त न हो पाने की दशा में नियमानुसार मृतका के शव के पंयातनामा की कार्यवाही कराकर शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल लोढी मॉर्चरी हाऊस में रखवाया गया था। अज्ञात महिला के शव के शिनाख्त कराने हेतु कस्बा कोन से तेलगुड़वा तक सीसीटीवी फुटेज लिया गया तथा लोगों से महिला का फोटो दिखाकर पहचान करने का सार्थक प्रयास किया गया। शव के शिनाख्त हेतू इलेक्ट्रानिक संचार के माध्यम वाट्सअप , फेसबुक , इंस्टाग्राम आदि में प्रचार-प्रसार कराया गया तथा महिला के शव के पास से बरामद चप्पल ब्लू टैगा कम्पनी की पहचान हेतु ओबरा, डाला, कोन, खरौंधी, गढ़वा आदि क्षेत्रों में चप्पल की दुकानो पर जानकारी करने हेत् प्रयास किया गया। तत्पश्चात उच्चाधिकारीगण के आदेश के अनुक्रम में टीमें बनाकर सोनभद्र, मीरजापुर, वाराणसी, गढ़वा क्षेत्रों में शिनाख्त हेतु भेजा गया था। इसी बीच एक व्यक्ति द्वारा यह बताया गया कि जो अज्ञात शव आपके यहां मिला है वह बजरमरवा गांव का है। इस सूचना पर थाना कोन पुलिस ने ग्राम बजरमरवा थाना खरौंधी(झारखण्ड) में पहुंचकर पूछताछ किया गया तो वहां पर निहोरा राम नाम के व्यक्ति ने अज्ञात शव की पहचान अपनी लड़की के रूप में की, शव को गम्भीरता पूर्वक तस्दीक करने हेतु परिजनों को जिला अस्पताल लोढ़ी रॉबर्ट्सगंज भेजा गया। जहाँ पर निहोरा राम द्वारा तस्दीक किया गया कि यह शव उसकी बेटी अनूपा कुमारी का ही है। दिनांक 21.01.2025 को निहोरा राम द्वारा थाना कोन पर अपनी लड़की अनूपा कुमारी की दहेज उत्पीड़न के संबंध में तहरीर दी गयी जिसके आधार पर थाना कोन पर मु0अ0सं0- 13/25 धारा 85/80(2)/238 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम राजू रंजन राम आदि पंजीकृत किया गया। पंजीकृत अभियोग के अनावरण के सम्बन्ध में मृतका अनूपा व उसके पति राजू व अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाइल नम्बरों की सीडीआर प्राप्त कर अवलोकन व साक्ष्य संकलन किया गया तो ज्ञात हुआ कि मृतका का पित राजू रंजन राम उसके दोस्त दीपक कुमार शर्मा व पीयूष शर्मा ने मिलकर अनूपा कुमारी की हत्या की है।

- 01. राजू रंजन राम पुत्र रामआधार राम उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी ग्राम हुसरू करिवाडीह थाना खरौंधी जनपद गढवा झारखण्ड।
- 02. दीपक कुमार पुत्र सुदामा शर्मा उम्र लगभग 21 वर्ष निवासी ग्राम बहुअरा थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 03. पीयूष शर्मा पुत्र जसवन्त शर्मा उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी ग्राम बहुअरा थाना कोन जनपद सोनभद्रष

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो राजू रंजन ने बताया कि उसने अपनी पत्नी अनूपा कुमारी व अपने मित्रों दीपक कुमार व पीयूष शर्मा को फोन करके कोन में बुलाया था जहां से राजू अपनी पत्नी अनूपा के साथ लिफ्ट लेकर तथा दीपक व पीयूष एक मोटर साइकिल पर बैठकर कोन से रोगही पड़रछ जंगल में जाकर तीनों ने अनूपा कुमारी का गला दबाकर व पत्थर से सिर लड़ाकर हत्या कर दी थी।

बरामदगी का विवरण-

आला कत्ल पत्थर, मृतका का मोबाइल, व एक मोटरसाईकिल बरामद।

- 01. प्र0नि0 गोपाल जी गुप्ता थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 02. उ0नि0 वंशनारायण राय चौकी प्रभारी बागेसोती थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 03. उ0नि0 मनोज कुमार सिंह चौकी प्रभारी चकरिया थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 04. हे0का0 मुकेश कुमार यादव थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 05. हे0का0 महफूज अली चौकी चकरिया थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 06. का0 अंकित वर्मा थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 07. का0 निरंजन कुमार थाना कोन जनपद सोनभद्र।

सोनभद्र पुलिस को अथक परिश्रम से मिली सफलता, पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी व उसके दो साथियों को किया गिरफ्तार-

प्रकरण- दिनांक 18.01.2025 को थाना कोन पर सूचना मिली की पड़रछ के जंगल में एक अज्ञात लड़की उम्र करीब 25 वर्ष का शव पड़ा है। उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोन द्वारा मौके पर पहुँचकर उच्चाधिकारीगण को अवगत कराते हुए शव के शिनाख्त हेत् फोटो लेकर आस पास के लोगो से जानकारी करने का प्रयास किया परन्त् कुछ लाभप्रद जानकारी प्राप्त नहीं हुई, मौके पर ही फॉरेंसिक टीम व सर्विलान्स टीम को बुलाया गया जिससे शव का शिनाख्त किया जा सके। शव का शिनाख्त न हो पाने की दशा में नियमानुसार मृतका के शव के पंयातनामा की कार्यवाही कराकर शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल लोढी मॉर्चरी हाऊस में रखवाया गया था। अज्ञात महिला के शव के शिनाख्त कराने हेतु कस्बा कोन से तेलगुड़वा तक सीसीटीवी फुटेज लिया गया तथा लोगों से महिला का फोटो दिखाकर पहचान करने का सार्थक प्रयास किया गया। शव के शिनाख्त हेतू इलेक्ट्रानिक संचार के माध्यम वाट्सअप , फेसबुक , इंस्टाग्राम आदि में प्रचार-प्रसार कराया गया तथा महिला के शव के पास से बरामद चप्पल ब्लू टैगा कम्पनी की पहचान हेतु ओबरा, डाला, कोन, खरौंधी, गढ़वा आदि क्षेत्रों में चप्पल की दुकानो पर जानकारी करने हेत् प्रयास किया गया। तत्पश्चात उच्चाधिकारीगण के आदेश के अनुक्रम में टीमें बनाकर सोनभद्र, मीरजापुर, वाराणसी, गढ़वा क्षेत्रों में शिनाख्त हेतु भेजा गया था। इसी बीच एक व्यक्ति द्वारा यह बताया गया कि जो अज्ञात शव आपके यहां मिला है वह बजरमरवा गांव का है। इस सूचना पर थाना कोन पुलिस ने ग्राम बजरमरवा थाना खरौंधी(झारखण्ड) में पहुंचकर पूछताछ किया गया तो वहां पर निहोरा राम नाम के व्यक्ति ने अज्ञात शव की पहचान अपनी लड़की के रूप में की, शव को गम्भीरता पूर्वक तस्दीक करने हेतु परिजनों को जिला अस्पताल लोढ़ी रॉबर्ट्सगंज भेजा गया। जहाँ पर निहोरा राम द्वारा तस्दीक किया गया कि यह शव उसकी बेटी अनूपा कुमारी का ही है। दिनांक 21.01.2025 को निहोरा राम द्वारा थाना कोन पर अपनी लड़की अनूपा कुमारी की दहेज उत्पीड़न के संबंध में तहरीर दी गयी जिसके आधार पर थाना कोन पर मु0अ0सं0- 13/25 धारा 85/80(2)/238 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम राजू रंजन राम आदि पंजीकृत किया गया। पंजीकृत अभियोग के अनावरण के सम्बन्ध में मृतका अनूपा व उसके पति राजू व अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाइल नम्बरों की सीडीआर प्राप्त कर अवलोकन व साक्ष्य संकलन किया गया तो ज्ञात हुआ कि मृतका का पित राजू रंजन राम उसके दोस्त दीपक कुमार शर्मा व पीयूष शर्मा ने मिलकर अनूपा कुमारी की हत्या की है।

- 01. राजू रंजन राम पुत्र रामआधार राम उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी ग्राम हुसरू करिवाडीह थाना खरौंधी जनपद गढवा झारखण्ड।
- 02. दीपक कुमार पुत्र सुदामा शर्मा उम्र लगभग 21 वर्ष निवासी ग्राम बहुअरा थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 03. पीयूष शर्मा पुत्र जसवन्त शर्मा उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी ग्राम बहुअरा थाना कोन जनपद सोनभद्रष

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो राजू रंजन ने बताया कि उसने अपनी पत्नी अनूपा कुमारी व अपने मित्रों दीपक कुमार व पीयूष शर्मा को फोन करके कोन में बुलाया था जहां से राजू अपनी पत्नी अनूपा के साथ लिफ्ट लेकर तथा दीपक व पीयूष एक मोटर साइकिल पर बैठकर कोन से रोगही पड़रछ जंगल में जाकर तीनों ने अनूपा कुमारी का गला दबाकर व पत्थर से सिर लड़ाकर हत्या कर दी थी।

बरामदगी का विवरण-

आला कत्ल पत्थर, मृतका का मोबाइल, व एक मोटरसाईकिल बरामद।

- 01. प्र0नि0 गोपाल जी गुप्ता थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 02. उ0नि0 वंशनारायण राय चौकी प्रभारी बागेसोती थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 03. उ0नि0 मनोज कुमार सिंह चौकी प्रभारी चकरिया थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 04. हे0का0 मुकेश कुमार यादव थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 05. हे0का0 महफूज अली चौकी चकरिया थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 06. का0 अंकित वर्मा थाना कोन जनपद सोनभद्र।
- 07. का0 निरंजन कुमार थाना कोन जनपद सोनभद्र।